SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्व शिक्षा अभियान

(S.S.A.)

परसपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद- प्रतापगढ़

विषयानुक्रमणी

क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1	जनपद की पृष्ठभूमि	1 – 12
2	शैक्षिक–परिदृश्य	13 – 34
3	नियोजन–प्रक्रिया	35 – 53
4	सर्वशिक्षा अभियाान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	54 – 60
5	समस्याएं एवं रणनीतियां	61 – 69
6	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 1 { नवीन विद्यालय}	70 – 77
7	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 2 { ई. जी. एस., ए. आई. ई.}	78 – 98
8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	99 – 135
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	136 – 190
10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	191 – 201
11	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002–2007	202 – 207
12	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-2004	208 – 210

अध्याय– एक

जनपद प्रतापगढ़ की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में जनपद प्रतापगढ़ का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इलाहाबाद मण्डल में आने वाला यह जनपद अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक भौगोलिक, राजनैतिक आदि विशिष्टताओं के कारण देश विदेशों में जाना जाता है। जनपद का प्रतापगढ़ नाम सोमवंशीय कुल शिरोमणि राजा तेज सिंह के योग्य पुत्र राजा प्रताप सिंह के नाम पर पड़ा। ज्ञातव्य है कि जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी वत्स गोत्रीय क्षत्रियों का सदर क्षेत्र में सोम वंशीय क्षत्रियों का, कुण्डा क्षेत्र में विसेन क्षत्रियों और कुछ भागों में कनपुरिया एवं भेलखरिया क्षत्रियों का वर्चस्व रहा।

सन् 1856 में अवध जब ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था तब प्रतापगढ़ नाम का कोई जिला नहीं था। उस समय रायबरेली नाम का भी कोई जिला नही था। प्रतापगढ़ जिले का कुछ भाग उस समय सलोन जिला में तथा कुछ सुल्तानपुर जिले में शामिल था। सन् 1856 में इसका पुर्नगठन किया गया। दूसरे वर्ष रायबरेली जिले की स्थापना हुई। लेकिन जिले का मुख्यालय सलोन में ही गदर के बाद तक रहा। गदर के बाद जब शान्ति स्थापित हुई तब पट्टी तहसील को सुल्तानपुर जिले से निकाल कर बिहार और प्रतापगढ़ में मिला दिया गया। और एक जिला प्रतापगढ़ बनाया गया जिसका मुख्यालय बेल्हा में रखा गया। उस समय प्रतापगढ़ में चार तहसीलें थीं जिनके नाम थे– प्रतापगढ़, पट्टी, बिहार तथा सलोन सलोन में तीन परगने थे– सलोन परसधेपर तथा अठेहा। सन 1869 में सलोन और परसधेपर रायबरेली जिले में शामिल कर दिये गये और अठेहा परगना को बिहार तहसील में मिला दिया गया बाद में अठेहा प्रतापगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा बिहार का मुख्यालय कुण्डा कर दिया गया।

वर्तमान प्रतापगढ़ जनपद में पांच तहसीलें– सदर, पट्टी, कुण्डा लाल्लगंज तथा रानीगंज है। इनमें से रानीगंज तहसील 15 अगस्त 2001 को इसके लोकार्पण के पश्चात अस्तित्व में आया।

जनपद प्रतापगढ़ में कुल 17 विकास खण्ड हैं जिनमें नव सृजित विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 3877/38–3–2001 बी/ 2001 दिनांक 3 सितम्बर 2001 द्वारा जारी की गयी।

तहसीलवार विकास खण्डों की सूची निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है।

सारिणी 1.1

क्र. सं.	तहसील	सम्मिलित विकास खण्ड	
1	सदर	1	सदर
		2	सण्डवा चन्द्रिका
		3	मान्धाता
2	लालगंज	1	लालगंज
		2	सांगीपुर
		3	लक्ष्मणपुर
		4	रामपुर संग्रामगढ़
3.	पट्टी.	1	पट्टी.
		2	मंगरौरा
		3	आसपुर देवसरा
4	कुण्डा	1	कुण्डा
		2	बाबागंज
		3	बिहार
		4	कालाकांकर
5	रानीगंज	1	गौरा
		2	शिवगढ़
		3	बाबाबेलखरनाथ धाम

स्रोतः- कार्यालय अभिलेख कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ की प्रशासनिक इकाइयाँ

सारिणी 1.2

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई का नाम	संख्या
1	तहसील	05
2	विकास खण्ड	17
3	न्याय पंचायत	171
4	ग्राम पंचायत	1105
5	राजस्व गांव	2181
6	बस्तियों की संख्या	8946
7	नगरीय क्षेत्र	—
8	नगर निगम	—
9	नगर महापालिका	—
10	नगर पालिका	01
11	टाउन एरिया	06
12	वार्ड	90

स्रोतः-जिलाधिकारी कार्यालय अभिलेख, प्रतापगढ़

टाउन एरिया

सारिणी 1.2.1

क्रं.	विवरण	टाउन एरिया	वार्ड	राजस्व गांव	बस्तियों की संख्य
1	लक्ष्मणपुर	X	X	114	572
2	बिहारा	X	X	114	642
3	आसपुर देवसरा	X	X	114	476
4	पट्टी	01	10	161	547
5	कुण्डा	01	14	127	889
6	मानधाता	X	X	172	677
7	कालाकांकर	01	11	102	513
8	गौरा	X	X	125	295
9	रामपुर संग्रामगढ़	X	X	124	465
10	सण्डवा चन्द्रिका	01	10	129	565
11	मगरौरा	X	X	211	657
12	सदर	02	20	137	390
13	शिवगढ़	X	X	183	619
14	बाबागंज	X	X	135	622
15	सांगीपुर	X	X	125	606
16	लालगंज	X	X	108	411
17	नगर क्षेत्र	X	25	-	-
	योग	06	90	2181	8946

स्रोतः—कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़

भौगोलिक स्थिति

प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश प्रान्त के इलाहाबाद मण्डल का एक जिला है। इसके उत्तर में सुल्तानपुर, दक्षिण में इलाहाबाद, पूर्व में जौनपुर तथा पश्चिम में रायबरेली जनपद है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लम्बाई 114.5 है। उत्तर दक्षिण की लम्बाई केवल 34.5 किमी है। इस जनपद का क्षेत्र फल 3717 वर्ग किमी है।

प्राकृतिक दशा

जनपद प्रतापगढ़ के दक्षिण में गंगा, उत्तर पूर्व में गोमती नदी बहती हैं। सई नदी इसके मध्य भाग से बहती हुयी आगे जाकर जौनपुर जिले में गोमती नदी से मिल जाती है। समुद्र तल सें इसकी उंचाई लगभग 300 फिट हैं। पूरे जिले का ढाल पूरब की ओर है। गंगा नदी लगभग 30 मील तक इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। उत्तर पूर्व में गोमती नदी इस जिले की सीमा पर चार मील तक बहती है। मध्य भाग में सई नदी राय बरेली जनपद से आकर टेढे मेढे मार्गो से होती हुयी लगभग 45 मील तक इस जिले में बहती हुयी जौनपुर की सीमा में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त नैया, चमरोड़ा, परैया, छोइया, लोनी, सकरनी एवं बकुलाही सहायक नदियां नालों जैसी हें जो गर्मियों में सूख जाती हैं।

जिले में कई झीलें हैं। पट्टी में नौरेहा झील सबसे बड़ी है। जो लगभग चार वर्ग मील में है और कभी सूखती नही है। कुण्डा तहसील में बेंती , रामपुर, भगदरा की झीलें बहुत बडी और प्रसिद्ध है इसके अलावा मानिकपुर, बिहार और ढिंगवस में भी झीलें हैं। इस जिले में जंगल नही है। इस जिले में बाग बहुत है जिनमें आम महुआ, कटहल आदि सबसे प्रमुख यहां पर आंवले का बाग है।

जिले की जलवायु पड़ोसी जिलों जैसी ही है। वर्ष में तीन मौसम होते हैं जिले

में न अधिक जाड़ा न अधिक गर्मी पड़ती है गर्मियों में अक्सर कई दिनों तक तेज व गर्म लू चलती हैं बरसात में बारिस पर्याप्त होती है। जाड़े का मौसम सुहाना होता है दिसम्बर एवं जनवरी महीनों में अधिक जाड़ा पड़ता है।

कृषि भूमि एवं सिंचाई व्यवस्था

जनपद प्रतापगढ़ के मुख्य आय का स्रोत कृषि है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 362423 हेक्टेयर है जिसका 2/3 भाग कृषि योग्य है। सिंचाई के साधनों में प्रमुख भूमिका नहरों की है जो कुल सिंचित साधनों का 85 प्रतिशत व्यक्तिगत नलकूप तथा 6771 पक्के कुएं हैं। यह जनपद आंवले की खेती के लिये विश्वविख्यात है। आंवले की खेती इस जनपद के विदेशी विनियम का एकमात्र स्रोत है।

यातायात, संचार व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं:-

जनपद प्रतापगढ़ में 140 किमी लम्बी बड़ी रेल लाइन है जो सीधे लखनऊ, बनारस, फैजाबाद एवं इलाहाबाद से जुड़ी हैं। इसके अलावा सरकारी बस स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टेशन हैं जो यातायात की सुविधा प्रदान करते हैं। इनकी संख्या 109 है। सड़कों का विस्तार प्रति 1000 किमी क्षेत्रफल पर 946 किमी है। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, ऊंचाहार एवं रायबरेली को जाते हैं। जनपद के लगभग 700 गावों में दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार लगभग 1300 गावों में चिकित्सीय सुविधा 2181 गावों में पीने के पानी की सुविधा, 350 गावों में डाक तार सुविधा, 250 बाजार तथा 1000 गावों में पक्की सड़कें उपलब्ध हैं। लगभग 1550 गावों में विद्युतीकरण हो चुका है। जनपद में बैंकिंग सुविधा पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं है। जनपद की लगभग 27 लाख जनसंख्या में पांच राष्ट्रीय कृत बैंकों एवं तीन सहकारी बैंकों की लगभग 168 शाखाओं द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

प्राग् ऐतिहासिक काल की जानकारी विभिन्न अनुसंधानों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। प्रयाग विश्वविद्यालय के पुरातत्व विद् स्व. प्रो. जी. आर. वर्मा ने जनपद के विभिन्न स्थानों जैसे मरदहा, सराय नाहर राय आदि स्थानों का जो उत्खनन कार्य करवाये उससे सिद्ध होता है कि प्राग इतिहास काल से ही प्रतापगढ़ का अस्तित्व था।

बाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि जनपद प्रतापगढ़ उस समय कौशल राज्य का एक भाग था तथा इसमें गंगा गोमती एवं सई नदियां विद्यमान थीं। इस जनपद को दो भागों में विभक्त करने वाली सई नदी को रामायण काल में स्यंदिका कहते थें

महाभारत कालीन स्थान जैसे अजगरा, हण्डौर तथा पांचों सिद्ध इसी जनपद में स्थित हैं। जो कि अब भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं। बौद्धकाल में भी कौशाम्बी के निकट होने के कारण इस जनपद का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। वर्तमान बिहार विकास खण्ड में बौद्धकालीन बिहार के भग्नावशेष अब भी पाये जाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने स्वयं अपनी पुस्तक में इस स्थान पर आने की बात का विवरण दिया है। बिहार विकास खण्ड के काशीपुर गांव में बौद्ध बिहार के टीले अब भी मौजूद हैं।

अवध के इस भूखण्ड में क्षत्रियों के आने से पहले भर जाति के लोग रहते थे। ऐसा लगता है कि भर जाति के लोग ही यहां के भू–स्वामी थे। सोमवंशी क्षत्रियों ने 13वीं सदी में झूंसी से यहां आकर भरों को भगा दिया। तेरहवीं शताब्दी तक इस भूभाग पर हिन्दू शासकों का ही शासन रहा। जिसमें गहरवार वंश प्रमुख था। प्रतापगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा पर बसा मनिकपुर कस्बा गहरवार वंशीय शासक मानिकचन्द का बसाया हुआ है। जो कि जयचन्द के सौतेले भाई थे। बाद में इस भू–भाग पर मुस्लिम शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जिनसे राजपूत शासक लगातार संघर्ष करते रहे। प्रतापगढ़ पहले इलाहाबाद सूबे का एक अंग था जो बाद में अवध का अंग बना।

धार्मिक पृष्ठ भूमि

प्रतापगढ़ जनपद के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शहर में सई न्नदी व किनारे प्रसिद्ध बेल्हा देवी का मन्दिर स्थित है। प्रायः जनपद शहर से 20 कि. मी पश्चिमी में मॉ चण्डिका का मन्दिर, 45 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में सांगीपुर ब्लाक में घुइसरनाथ का शिव मन्दिर एवं लक्ष्मणपुर ब्लाक में अजगरा नामक स्थान पर महाभारत कालीन यक्ष–युधिष्ठिर संवाद हुआ था। इसके विषय में कहा जाता है कि राजा नहुष राय के कारण यक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। पाण्डवों के वनवासकाल में यहीं पर यक्ष पाण्डव संवाद हुआ था और युधिष्ठिर द्वारा यथेष्ट उत्तर मिलने पर नहुंस को मोक्ष प्राप्त हुआ था। शहर के 20 किलो मीटर पूर्व में बाबाबेलखरनाथ धाम {शिवमन्दिर} स्थित है जिनके नाम से नये विकास खण्ड की स्थापना की गयी।

सदर तहसील में शहर से 22 किमी दूर दक्षिण पूर्व में बकुलाही न्नदी के किनारे महाभारत कालीन भारत का दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक शनिदेव मन्दिर स्थित है। शहर के 25 किमी दक्षिण में मान्धाता विकास खण्ड में बकुलाही न्नदी के तट पर पाण्डवों द्वारा शंकर जी की पूजा कर उनके लिंग की स्थापना की गायी थी जिसे भयहरण नाथ मन्दिर के नाम से जाना जाता है।

जनपद के दक्षिण सीमा पर गंगा तट पर कड़ा धाम स्थित है जहां वर्ष मे दो बार विराट मेला लगता है।

जनपद के प्रमुख मेले

प्रतापगढ़ जनपद का मुख्य मेला विजयदशमी के बाद– कटरा मेदनीगंज भुपियामऊ} सदर में माननीय राजा अभय प्रताप सिंह पूर्व सांसद द्वारा लगवाया जाता है जिसमें ऊंट, घोड़े, भैंस, गाय, जानवरों के अतिरिक्त नौटंकी, नाटक, सर्कस, काला जादू, होटल, मिठाइयों की दुकानें, लकड़ी के सामान के साथबहुत अच्छे– 2 सामान मिलते हैं, जिनमें क्षेत्रीय जनता के अतिरिक्त दूर जनपदों से भी व्यापारी आया करते हैं जिनमें करोडों का व्यवसाय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से व्यवसायी तथा क्षेत्रीय जनता आनन्द लेते हैं। इस कार्यक्रम में पुरूष महिलाओं के बराबर की भागीदारी होती है। मेले के पश्चिम तरफ बहुत बड़ा तालाब है जिससे पानी की सुविधा के साथ साथ तालाब में कमल के फूल मेले की शोभा बिखेरते हैं।

विजय दशमी से पूर्व भदरी { बाबूंगज} कुण्डा में माननीय राजा उदय सिंह द्वारा एक महा के लिये मेला लगवाया जाता है इस मेले में जानवरों के व्यवसाइयों के अतिरिक्त नौटंकी, नाटक, सर्कस, जादुगरी के अतिरिक्त क्षेत्रीय जनता द्वारा पुरूष एवं महिलाओं द्वारा मेले में प्रतिभाग करते हैं।

पट्टी में कार्तिक में तीन दिवसीय जानवरों के व्यवसायी के अतिरिक्त नौटंकी नाटक, सर्कस, जादूगरी के अतिरिक्त क्षेत्रीय मेले में दूर दूर से व्यवसायी आते है

मानिकपुर कुण्डा में भी कार्तिक माह में मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें जानवरों के व्यवसायी के अतिरिक्त नौटंकी, सर्कस आदि मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें स्त्री पुरूष दोनों की भागीदारी होती है।

बहारकपुर कुण्डा म कामक द्वताया का एक सप्ताह क लिय मला लगता ह यह मेला एक सप्ताह के लिये जानवरों के व्यवसायी के अतिरिक्त नौटंकी नाटक सर्कस, जादूगरी के अतिरिक्त स्त्री पुरूष दूर दूर से आकर प्रतिभाग करते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम की शुरूआत में जनपद का योगदान :-

इस जनपद के तहसील पट्टी के ग्राम रूर में स्वतंत्रता की लड़ाई का शुभारम्भ हुआ था। इस आन्दोलन की शुरूआत वहीं के निवासी ठा. झिंगुरी सिंह द्वारा पं. जवाहर लाल नेहरू के निर्देशन में शुरू हुआ। इस आन्दोलन को किसान आन्दोलन के रूप में जाना जाता है। राजा अवधेश सिंह के निमंत्रण पर महात्मागांधी कालाकांकर पधारे थे उन्हीं के समक्ष विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गयी थी। असहयोग आन्दोलन, लगान बन्दी और नमक आन्दोलन में कालाकांकर रियासत ने सक्रियता से भाग लिया।

प्रतापगढ़ जनपद की साहित्यिक गतिविधियॉ :-

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आन्दोलन में कालाकांकर के राजा अवधेश सिंह सक्रिय भाग ले रहे थे। राजा अवधेश सिंह के इस देश प्रेम से प्रभावित होकर अनेक विद्वान राष्ट्रसेवी और कवि कलाकार यहां आया करते थे। पत्रकारों में बालमुकुन्द गुप्त, अमृत लाल चक्रवर्ती प्रताप नारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। कवियों में पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, जैनेन्द्र कुमार, निराला आदि थे। कविवर सुमित्रा नन्दन पन्त यहां वर्षों रह कर अपनी रचनायें करते रहे। पन्त जी ने कालाकांकर का राजभवन चांदनीरात में नौका बिहार आदि रचनायें कालाकांकर में रह कर किया।

जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की कुल आबादी 27,01,346 है इसमें 1341833 महिलायें एवं 1359513 पुरूष है। पुरूष महिला लिंग अनुपात 1000:987 है। प्रतापगढ़ जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 475102 है जो कि कुल आबादी का 17.58 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। दस वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर 22.194 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 94.47 प्रतिशत है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या का घनत्व 594.75 प्रति वर्ग किमी है।

प्रतापगढ़ मुख्य रूप से हिन्दू बाहुल्य जिला है हिन्दुओं की कुल संख्या जिले की जनसंख्या का 86.56 प्रतिशत है। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है। इसका प्रतिशत 13.24 है। भारत पाक विभाजन के समय पंजाब से आये सिख यहां बस गये हैं।

[illegible] जनसंख्या परिदृश्य — सारणी 1.3

क्र. सं.	नाम ब्लाक	क्षेत्रफल वर्ग किमी	आवासीय मकानों की संख्या	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या 2001			अनु0जाति की संख्या		
					पुरूष	स्त्री	यो0	पुरूष	स्त्री	यो0
1	कालाकांकर	180.2	18626	19323	67398	62986	130384	12925	12425	25350
2	बाबागंज	243.0	23671	24567	74531	73871	148402	17653	19464	37117
3	कुण्डा	278.7	30030	31117	104111	101376	205487	19621	19794	39415
4	बिहार	266.0	26777	27579	89423	92365	181788	20363	23745	44108
5	सांगीपुर	261.6	2507	26142	81115	78458	159573	14548	14522	29070
6	लालगंज	184.4	18788	19460	61953	61767	123702	11537	11978	23515
7	लक्षमणपुर	185.0	19117	19890	66914	68558	135472	10772	11836	22608
8	सण्डवा चन्द्रिका	222.6	20636	21110	69127	69195	138322	10954	11132	22086
9	सदर	188.9	21440	22027	89431	83806	173237	12731	11963	24694
10	मान्धाता	212.7	24717	25268	92308	93286	185594	14342	15689	30031
11	मंगरौरा	285.8	24834	25619	96079	95563	191641	16802	16726	33528
12	पट्टी	196.2	15993	16440	65886	67342	133228	10240	10470	20710
13	आसपुर देवसरा	110.7	18646	19304	83525	83651	167176	14037	13978	28015
14	शिवगढ़	220.9	21086	21830	85066	83518	168584	12095	11759	23854
15	गौरा	237.7	22188	22773	88437	89792	178229	13503	13971	27474
16	रामपुर संग्रामगढ़	208.2	20055	20887	67371	65927	133298	15108	15397	30505
	योग ग्रामीण	3683.9	351564	363336	1282657	1271460	2554117	227231	234850	462081
	योग नगरीय	33.1	18192	18804	76856	70373	147229	6685	6336	13021
	योग जनपद		369756	382140	1359513	1341833	2701346	233916	241186	475102

अध्याय– दो

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य साक्षरता स्तर

जनपद प्रतापगढ़ में साक्षरता का स्तर बहुत संतोषजनक नही है। जनपद का साक्षरता स्तर प्रान्त के साक्षरता स्तर से कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 49.53 प्रतिशत थी तथा शहरी क्षेत्रों में 73.67 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुरूषों की साक्षरता 59.94 प्रतिशत थी वहीं महिला साक्षरता 39.40 प्रतिशत थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत अत्यधिक न्यून हे। निम्नलिखित तालिका से प्रान्त की साक्षरता एवं जनपद प्रतापगढ़ की साक्षरता का विवरण दृष्टिगोचार हो रहा है।

साक्षरता दर प्रतापगढ़ एवं उत्तर प्रदेश

सारिणी नं. 2.1

क्रमांक	विवरण	साक्षरता प्रतिशत प्रतापगढ	साक्षरता प्रतिशत उत्तर प्रदेश
1	कुल साक्षरता	51.01 %	57.36%
2	ग्रामीण साक्षरता	49.53%	
3	शहरी साक्षरता	73.67%	
4	पुरुष साक्षरता	61.74%	
5	महिला साक्षरता	40.14%	
6	पुरुष साक्षरता { ग्रामीण}	59.94%	
7	महिला साक्षरता { ग्रामीण}	39.40%	
8	पुरुष साक्षरता { शहरी}	89.77%	
9	महिला साक्षरता { शहरी}	56.09%	

जनपद प्रतापगढ़ में डी. पी. ई. पी. III योज़ना लागू होने के उपरान्त साक्षरता के स्तर में आशातीत सुधार हुआ है। विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में शिक्षा की पहंच के विस्तार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये संचालित कार्यक्रमों के फलस्वरूप वृद्धि हुई है। यदि ऐसी योजनाएं आगामी दस वर्षों तक संचालित होती रहें तो प्रान्त में सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जनपद हो जायेगा। ध्यातव्य है कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट लिटरैसी प्रोग्राम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो चुका है। जनपद की कुल जनसंख्या में विकास खण्डवार साक्षरता दर निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है।

सारिणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता दर 2001 के अनुसार

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	साक्षर संख्या			साक्षर दर		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	कालाकांकर	36835	24537	61372	54.65	38.96	477.07
2	बाबागंज	41926	27927	64853	56.25	37.80	477.07
3	कुण्डा	59767	39811	46449	57.40	39.27	488.46
4	बिहार	52874	35220	46435	59.13	37.13	488.46
5	सांगीपुर	45082	30029	75111	55.58	38.27	477.07
6	रानपुर संग्रामगढ़	38913	23830	62743	57.76	36.14	477.07
7	लक्ष्मणपुर	40329	25321	65650	60.27	36.94	4846
8	लालगंज	36827	23123	59950	59.44	37.43	488.46
9	रण्डवा चन्द्रिका	39078	26030	65108	56.53	37.62	477.07
10	मान्धाता	52416	34915	49097	58.61	41.66	477.07
11	प्रतापगढ़ सदर	81184	15498	52659	90.77	56.09	74.00
12	मंगरौरा	55740	37129	51364	68.0	38.85	488.46
13	पट्टी	38750	25812	65562	58.81	38.33	488.46
14	आसपुर देवसरा	48624	32389	81013	58.21	38.72	488.46
15	शिवगढ़	50186	31510	81696	59.0	37.73	488.46
16	गौरा	51839	34539	86370	58.62	38.46	488.46
	योग ग्रामीण	770370	49912112	69491	59.94	39.40	49.53
	नगरीय क्षेत्र	68996	39472	108468	89.77	56.09	73.67
	जनपद कुल योग	839366	538593	1377959	61.74	40.14	51.01

स्रोत- जिला सांख्यिकी पुस्तिका

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता :-

जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र के कुल बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों की संख्या 1590 है। कुल मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 312 है। जनपद में कुछ अमान्य प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिनकी संख्या 400 है।

इस प्रकार से ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 307 है। कुल मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 129 है। जनपद में कुछ अमान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हैं जिनकी संख्या 139 है।

उपर्युक्त विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, डिग्री कालेज आदि का विवरण निम्न लिखित दो तालिकाओं से स्पष्ट है।

सारिणी 2.3

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अन्यान्य संस्थाये	
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
1	कालाकांकर	72	03	72	10	—	10	52	12
2	बाबागंज	94	—	91	18	—	18	22	—
3	कुण्डा	95	01	93	22	08	30	07	03
4	बिहार	103	—	100	14	—	14	17	—
5	सांगीपुर	93	—	90	27	—	27	26	—
6	लालगंज	77	—	74	11	—	11	66	—
7	लक्ष्मणपुर	81	—	78	08	—	08	09	—
8	सण्डवा चन्द्रिका	108	—	105	25	—	25	05	—
9	सदर	99	03	99	26	05	31	04	03
10	मान्धाता	125	—	122	13	—	13	18	—
11	नंगरौरा	90	—	108	14	—	14	29	—
12	पट्टी	75	02	97	05	13	18	12	01
13	आसपुर देवसरा	106	—	103	16	—	16	19	—
14	शिवगढ़	81	—	101	14	—	14	18	—
15	गौरा	89	—	99	9	—	9	23	—
16	रामपुर संग्राम	79	—	76	14	—	14	19	—
17	नगर क्षेत्र	—	19	29	—	40	40	—	35
18	बाबा बेलावरनाथ धाम	85	0	0	246	66	312	346	54
	योग	1552	38	1590	246	66	312	346	54

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख, प्रतापगढ़

सारिणी–2.4
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

स.	ब्लाक का नाम	परिषदीय शासकीय			मान्यता प्राप्त			अमान्य संस्थायें		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	कालाकांकर	12		12	10		10	7	1	8
2.	बाबागंज	11		11	15		15	6		6
3.	कुण्डा	14		14	18	3	21	11	2	13
4.	बिहार	19		19	11		11	7		7
5.	सांगीपुर	18		18	18		18	4		4
6.	लालगंज	11		11	10		10	3		3
7.	लक्ष्मणपुर	18		18	8	0	8	5	2	7
8.	सण्डवा चंद्रिका	18		18	20		20	7		7
9.	सदर	22		22	18	2	20	10		10
10.	मान्धाता	29		29	12		12	12		12
11.	मगरौरा	21		21	13		13	10		10
12.	पट्टी	20		20	5		5	8		8
13.	आसपुर देवसरा	15		15	12		12	6		6
14.	शिवगढ़	17		17	11		11	7		7
15.	गौरा	20		20	9		9	8		8
16.	रामपुर संग्रामगढ़	13		12	12		12	7		7
17.	बाबाबेलखरनाथधाम	19		19	6		6	8		8
18.	नगर क्षेत्र	—	10	10		6	6	8		8
	योग	297	10	307	208	11	219	134	5	139

सारिणी 2.5

शैक्षिक संस्थाएं, जनपद प्रतापगढ़

क्र सं.	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			अमान्य	
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्राथमिक विद्यालय	1552	38	1590	246	66	312	1798	104	1902	346	54
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	0	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	297	10	307	208	11	219	499	21	520	134	05
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	04	02	06	89	12	101	93	14	107	02	03
5	केन्द्रीय विद्यालय	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	नवोदय विद्यालय	00	01	01	00	00	00	00	01	01	00	00
7	हाईस्कूल	10	00	10	44	02	46	54	02	56	06	00
8	इण्टर मीडिएट	03	02	05	69	11	80	72	13	85	01	—
9	डिग्री कालेज	00	00	00	01	00	01	01	00	01	00	00
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	01	00	01	02	02	04	03	02	05	00	00
11	विश्व विद्यालय	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	तकनीकी संस्थान आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक	01	02	03	00	00	00	00	00	00	00	00
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	0	0	0	00	01	01	00	01	01	10	02
14	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	—	—	—	—	—	—	1694	—	1694	—	—
15	मकतब / मदरसे	—	—	—	15	03	18	15	03	18	32	02
16	संस्कृत पाठशालाएं	—	—	—	27	00	27	27	00	27	01	00
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01
18	बाल श्रमिक विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

स्रोत– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अभिलेख, प्रतापगढ़

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तरः-

जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 11 आयु वर्ग के कुल 411126 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें 217578 बालक एवं 193548 बालिकाएं हैं जिनमें से 312654 बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में, 64314 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा 24060 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में हुआ है। अभी तक कुल 10098 बच्चे (5127 बालक एवं 4971 बालिकाएं) विद्यालय से बाहर हैं जिनके शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्वशिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 93.64 प्रतिशत तथा जी. ई. आर. 97.54 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक स्तर :-

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 220300 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें 118146 बालक एवं 99395 बालिकाएं हैं। इनमें से 49265 बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में, 119932 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा 48344 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में है एवं 2759 बच्चे जिनमें से 1301 बालिकांए एवं 1458 बालक हैं वह स्कूल के बाहर है। जिनका शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 94.80 प्रतिशत तथा जी. ई. आर. 98.75 प्रतिशत है।

छात्र नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)
जनपद– प्रतापगढ़ सारिणी 2.6

क्र.	विकासखण्ड	6 से 11 वय वर्ग की कुल सं0			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्या में नामांकन	
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका
1.	कालाकांकर	103617	8685	19052	8206	7409	15615	1545	759	2304	415	266
2.	बाबागंज	12451	11333	23784	10194	9568	19762	1334	1066	2400	503	302
3.	कुण्डा	17016	15473	32489	10555	9938	20493	5472	4629	10101	591	595
4.	लक्ष्मणपुर	10295	9524	19819	8519	8252	16771	1250	830	2080	111	142
5.	सांगीपुर	12432	11014	23446	8134	8045	16179	2065	1518	3583	1905	1175
6.	लालगंज	9545	8502	18047	6464	6743	13207	1785	861	2646	1073	650
7.	रामपुर संग्रामगढ़	10363	9128	19491	6985	6427	13412	2581	1552	4133	590	781
8.	सण्डवा चंद्रिका	13236	10344	23580	8471	8845	17316	2378	552	2930	1949	554
9.	बिहार	12632	12607	25239	11798	10821	22619	1205	1227	2432	312	259
10	सदर	13683	11820	25503	8629	8931	17560	3130	1934	5064	1612	759
11	मानधाता	14116	13246	27362	10634	10024	20658	2172	2087	4259	871	775
12	मगरौरा	15188	14093	29281	11710	11835	23545	2679	1684	4363	539	361
13	पट्टी	13562	11750	25312	10292	10092	20384	2394	1104	3898	563	254
14	आसपुर देवसरा	12794	11796	24590	10346	10413	20759	1411	1018	2429	931	265
15	शिवगढ़	13026	11776	24802	9336	9302	10638	3133	1970	5103	337	276
16	गौरा	13029	11711	24740	11376	10822	22198	566	323	889	825	287
17.	बाबाबेलखरनाथधाम	7435	5817	13252	5840	4582	10422	705	545	1250	770	438
18.	नगर क्षेत्र	5408	4929	10337	1520	1596	3116	2671	2179	4850	1069	955
	योग	217578	193548	411126	159009	153645	312654	38476	25838	64314	14966	9094

त्र नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालय सारिणी 2.7
पद प्रतापगढ़

विकासखण्ड	11–14 आयुवर्ग में बच्चों की संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालय में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कालाकांकर	5652	4918	10570	1068	698	1766	2681	2856	5537	1813	1249	3062
बाबागंज	6094	5593	11687	750	610	1360	4022	3568	7590	1217	1308	2525
कुण्डा	8428	6798	15226	910	653	1563	6579	5078	11657	850	1032	1882
बिहार	8018	5739	13757	2069	1452	3521	2778	2202	4980	3062	1996	5058
सांगीपुर	6503	5877	12380	826	641	1467	3468	3406	6874	2096	1724	3820
लालगंज	5313	4842	10155	691	412	1103	2722	2308	5030	1855	2085	3940
रामपुर संग्रामगढ	6651	4100	10751	958	603	1561	4615	2459	7074	915	911	1826
लक्ष्मणपुर	6122	4763	10885	2118	881	2999	2861	2652	5513	1076	1174	2250
सण्डवा चंद्रिका	5759	5303	11062	1647	1262	2909	3468	3147	6615	590	812	1402
सदर	7018	6208	13226	1754	1440	3194	3560	3148	6708	1657	1577	3234
मान्धाता	7197	6776	13993	1965	1726	3691	3618	3448	7066	1545	1555	3100
मगरौरा	8430	5937	14367	2099	1478	3577	3873	2593	6466	2364	1801	4165
पट्टी	5958	4788	10746	1770	1422	3192	3428	2387	5815	682	907	1589
आसपुर देवसरा	6652	6199	12851	2488	1829	4317	3274	2916	6190	805	1385	2190
शिवगढ़	6748	6191	12939	1215	1356	2571	4779	3853	8632	675	924	1599
गौरा	6957	6580	13537	3165	2323	5488	2448	2427	4875	1241	1763	3004
बाबाबेलखर नाथ धाम	6239	5375	11614	1385	419	1804	3718	4169	7887	1136	787	1923
नगर क्षेत्र	5865	4689	10554	1808	1374	3182	3316	2107	5423	675	1100	1775
योग	119604	100696	220300	28686	20579	49265	65206	54726	119932	24254	24090	48344

सारिणी 2.8
स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (2003 की स्थिति)

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कालाकांकर	201	251	452	90	115	205
2.	बाबागंज	420	397	817	105	107	212
3.	कुण्डा	398	311	709	89	35	124
4.	बिहार	317	300	617	109	89	198
5.	सांगीपुर	328	276	604	115	104	219
6.	लालगंज	223	248	471	45	37	82
7.	लक्ष्मणपुर	415	300	715	67	56	123
8.	सण्डवा चंद्रिका	438	393	831	54	82	136
9.	सदर	312	196	508	47	43	90
10.	मान्धाता	439	360	799	69	67	136
11.	मंगरौरा	260	213	473	94	65	159
12.	पट्टी	313	300	613	78	72	150
13.	आसपुर देवसरा	106	100	206	85	69	154
14.	शिवगढ़	220	228	448	79	58	137
15.	गौरा	260	279	541	103	67	170
16.	रामपुर संग्रामगढ़	207	368	575	163	127	290
17.	नगर क्षेत्र	148	199	347	2	725	727
18.	बाबाबेलखरनाथ धाम	120	252	372	66	108	174
	योग	5127	4971	10098	1458	1301	2759

स्रोत – कार्यालयीय अभिलेख

सारिणी 2.9

जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर. प्राथमिक स्तर

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक (जी.इ.आर.)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कालाकांकर	98.06	97.10	97.62	94.14	93.22	93.72
2.	बाबागंज	96.62	96.49	96.56	92.76	92.64	92.70
3.	कुण्डा	97.66	97.99	97.81	93.75	94.07	93.90
4.	बिहार	96.64	96.85	96.74	92.78	92.98	92.87
5.	सांगीपुर	97.36	97.49	97.42	93.47	93.59	93.52
6.	लालगंज	97.66	97.08	97.39	93.76	93.20	93.49
7.	लक्ष्मणपुर	98.00	95.97	97.05	94.08	92.13	93.17
8.	सण्डवा चंद्रिका	96.69	96.20	96.48	92.82	92.35	92.62
9.	सदर	97.67	97.62	97.65	93.77	93.71	93.74
10.	मान्धाता	97.72	98.34	98.0	93.81	94.41	94.09
11.	मंगरौरा	96.89	97.28	97.08	93.01	93.39	93.20
12.	पट्टी	98.29	98.49	98.38	94.36	94.55	94.44
13.	आसपुर देवसरा	97.69	97.45	97.58	93.78	93.55	93.68
14.	शिवगढ़	99.17	99.15	99.16	95.20	95.18	95.19
15.	गौरा	98.31	98.06	98.19	94.34	94.14	94.26
16.	रामपुर संग्रामगढ़	97.99	97.61	97.81	94.07	93.70	93.90
17.	नगर क्षेत्र	98.39	95.67	97.19	94.45	91.84	93.30
18.	बाबाबेलखरनाथ धाम	97.26	95.96	96.64	93.37	92.12	92.77
	योग	97.64	97.43	97.54	93.73	93.53	93.64

सारिणी 2.10
जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर. उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक (जी.इ.आर.)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.)		
		बालक%	बालिका%	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कालाकांकर	98.40	97.66	98.06	94.47	93.75	94.14
2.	बाबाग॰ज	98.28	98.09	98.19	94.34	94.16	94.26
3.	कुण्डा	98.94	99.48	99.19	94.99	95.50	95.22
4.	बिहार	98.64	98.45	98.56	94.69	94.51	94.62
5.	सांगीपुर	98.23	98.23	98.23	94.30	94.30	94.30
6.	लालगंज	99.15	99.23	99.19	95.19	95.27	95.22
7.	लक्षमणपुर	97.55	96.90	97.30	93.65	93.03	93.41
8.	सण्डवा चंद्रिका	98.90	98.82	98.87	94.95	94.87	94.91
9.	सदर	99.06	98.45	98.77	95.10	94.51	94.82
10.	मान्धाता	99.33	99.30	99.32	95.36	95.33	95.35
11.	मंगरौरा	99.04	99.01	99.03	95.08	95.05	95.07
12.	पट्टी	98.88	98.90	98.89	94.93	94.95	94.94
13.	आसपुर देवसरा	98.69	98.50	98.60	94.74	94.56	94.66
14.	शिवगढ़	98.72	98.89	98.80	94.77	94.93	94.85
15.	गौरा	98.83	99.06	98.94	94.88	95.10	94.98
16.	रामपुर संग्रामगंढ	98.52	98.98	98.74	94.58	95.02	94.79
17.	नगर क्षेत्र	100.00	100.00	100.00	96.00	96.00	96.00
18.	बाबाबेलखरनाथ धाम	98.87	97.70	98.35	94.92	93.79	94.42
	योग	98.78	98.70	98.75	94.83	94.76	94.80

स्रोत – कार्यालयीय अभिलेख

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन :–

सारिणी – 2.11

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत			गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
99–2000	20031	15294	35325	56.70	43.30	100	–	–	–
2000–01	20598	15448	36046	57.14	42.86	100	2.83	1.01	2.04
2001–02	21345	15817	37162	57.44	42.56	100	3.63	2.39	3.10
2002–03	23479	17715	41194	56.99	43.01	100	9.9	11.99	10.85
2003–04	28686	20579	49265	58.23	41.77	100	22.18	16.17	19.59

जनपद प्रतापगढ़ वर्ष 2000–01 से डी0पी0ई0पी0तृतीय से आच्छादित रहा है, 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान भी लागू हहो गया है। इस विविध कार्यक्रमों के कारण नामांकन में पर्याप्त सुधार आ चुका है। वर्ष 2002–03 में गत वर्ष के सापेक्ष 9.9 प्रतिशत बालकों के नामांकन में 11.99 प्रतिशत बालिकाओं के नामांकन में तथा 10.85 प्रतिशत कुल नामांकन में वृद्धि हुयी है। इसी प्रकार से वर्ष 2003–04 में गत वर्ष के सापेक्ष 22.18 प्रतिशत बालकों के नामांकन में, 16.17 प्रतिशत बालिकाओं के नामांकन में तथा 19.59 प्रतिशत कुल नामांकन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में बालकों के नामांकन में 12.28 प्रतिशत, बालिकाओं के नामांकन में 5.32 प्रतिशत तथा 8.74 प्रतिशत कुल नामांकन में वृद्धि हुई है।

प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में ट्रांजिशन दर––

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रांजिशन दर
99–2000	14130	10597	75 प्रतिशत
2000–01	14418	11534	80 प्रतिशत
2001–02	14865	12784	86 प्रतिशत
2002–03	15460	13451	87 प्रतिशत
2003–04	19042	16947	89 प्रतिशत

डी0पी0ई0पी0 लागू होने के पश्चात् पूर्व के वर्ष की अपेक्षा ट्रांजिशन दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ड्राप आउट दर प्राथमिक स्तर

जनपद में परिषदीय विद्यालयों में कुल ड्राप आउट दर 26.0 प्रतिशत है जिनमें बालकों का ड्राप आउट दर 24 प्रतिशत एवं बालिकाओं का ड्राप आउट दर 28 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के बच्चों का ड्राप आउट दर 37.80 प्रतिशत है जिनमें बालकों का ड्राप आउट दर 34.7 प्रतिशत तथा बालिकाओं का ड्राप आउट दर 41.5 प्रतिशत है।

सारिणी 2.12

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ड्राप आउट दर {कुल}			ड्राप आउट अनुसूचित जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
		1	2	3	4	5	6
1.	कालाकांकर	26	32	29	34	36	35
2.	बाबागंज	28	30	29	42	40	39
3.	कुण्डा	26	22	24	16	32	[illegible]
4.	बिहार	24	30	27	26	40	33
5.	सांगीपुर	24	28	26	42	48	45
6.	लालगंज	24	30	27	44	48	46
7.	लक्ष्मणपुर	19	31	25	29	41	35
8.	सण्डवा चन्द्रिका	20	24	22	34	36	35
9.	सदर	14	24	19	28	36	32
10.	मान्धाता	24	30	27	35	41	42
11.	मंगरौरा	22	26	24	34	36	35
12.	पट्टी	20	24	22	34	42	38
13.	आसपुर देवसरा	24	30	27	36	48	42
14.	शिवगढ़	24	27	27	42	56	49
15.	गौरा	26	30	31	42	48	45
16.	रा. ग्रामगढ़	32	30	31	42	46	44
17.	नगर क्षेत्र	20	24	22	34	42	38
18.	बाबा बे0न0 धाम	26	25	25	35	40	37
	योग	24	28	26	34.7	41.5	37.80

स्रोत– कार्यालयीय अभिलेख

सारिणी 2.13

शिक्षकों की उपलब्धता {परिषदीय विद्यालय} सारिणी – 5

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत शिक्षकों की संख्या निम्नवत है।

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 30.9.2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या	कार्यरत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	5439	4095	1344	1964	549
परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय	1048	749	299	–	–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अन्तर्गत कुछ विद्याकेन्द्र एवं शिक्षाकेन्द्र संचालित हैं इनका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

सारिणी 2.14

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृति संख्या		संचालित संख्या	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र
1	00–01	63	13	63	13
2	01–02	62	112	37	112
3	02–03	125	125	100	125
4	03–04	125	125	100	125
	योग	125	125	125	125

सारिणी 2.15

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्ध

		प्राथमिक विद्यालय					उच्च प्राथमिक विद्यालय			
क्र. सं.	नाम ब्लाक	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की स्वीकृत सं.	शिक्षा मित्रों की कार्यरत	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वीकृत शि. मित्रों की संख
1	मानधाता	—	269	—		48	—	54	—	
2	गौरा	—	289	—		18	—	60	—	—
3	सण्डवा चन्दिका.	—	269	—		48	—	29	—	—
4	शिवगढ़	—	209	—		44	—	54	—	—
5	मगरौरा	—	222	—		48	—	63	—	—
6	कुण्डा	—	240	—		48	—	50	—	—
7	बाबागंज	—	251	—		34	—	32	—	—
8	आसपुर देवसरा	—	289	—		21	—	49	—	—
9	लक्ष्मणपुर	—	241	—		22	—	57	—	—
10	रामपुर संग्रामगढ़	—	162	—		32	—	14	—	—
11	सदर	—	334	—		5	—	80	—	—
12	बिहार	—	316	—		41	—	54	—	—
13	पट्टी	—	197	—		—	—	46	—	—
14	लालागंज	—	162	—		33	—	27	—	—
15	सांगीपुर	—	211	—		29	—	17	—	—
16	कालाकांकर	—	157	—		34	—	29	—	—
17	बाबा बेल.धाम	--	225	—		28	—	34	—	—
18	नगर क्षेत्र	--	52	—		—				—
	योग	5439	4095	1344	1964	549	1048	749	299	—

सारिणी 2.16

विकास खण्ड वार शिक्षक–छात्र अनुपात 2003–04 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1.	कालाकांकर	72	15615	157	1:99
2.	बाबागंज	94	19762	251	1:78
3.	कुण्डा	95	20493	240	1:85
4.	बिहार	103	22619	316	1:71
5.	सांगीपुर	93	16179	211	1:76
6.	लालगंज	77	13207	162	1:81
7.	लक्षमणपुर	81	16771	241	1:69
8.	सण्डवा चंद्रिका	108	17316	269	1:64
9.	सदर	99	17560	334	1:52
10.	मान्धाता	125	20658	269	1:76
11.	मंगरौरा	90	23545	222	1:106
12.	पट्टी	75	20384	197	1:103
13.	आसपुर देवसरा	106	20759	289	1:71
14.	शिवगढ़	81	18638	209	1:89
15.	गौरा	89	22198	289	1:76
16.	रामपुर संग्रामगढ़	79	13412	162	1:82
17.	नगर क्षेत्र	38	3116	52	1:59
18.	बाबाबेलखरनाथ धाम	85	10422	225	1:46
	योग	1590	312654	4095	1:76

स्रोत :– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख

सारिणी 2.17

विकास खण्ड वार शिक्षक–छात्र अनुपात 2003–04 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1.	कालाकांकर	12	1766	29	1:61
2.	बाबागंज	11	1360	32	1:42
3.	कुण्डा	14	1563	50	1:31
4.	बिहार	19	3521	54	1:65
5.	सांगीपुर	18	1467	17	1:86
6.	लालगंज	11	1103	27	1:41
7.	रामपुर संग्रामगढ़	18	2999	57	1:53
8.	लक्ष्मणपुर	18	2909	29	1:100
9.	सण्डवा चंद्रिका	22	3194	80	1:40
10.	सदर	29	3691	54	1:68
11.	मान्धाता	21	3577	53	1:68
12.	मंगरौरा	20	3192	38	1:84
13.	पट्टी	15	4317	49	1:88
14.	आसपुर देवसरा	17	2571	37	1:69
15.	शिवगढ़	20	5488	50	1:110
16.	गौरा	13	1561	14	1:111
17.	नगर क्षेत्र	10	1804	34	1:53
18.	बाबाबेलखरनाथ धाम	19	3182	45	1:114
	योग	307	49265	749	1:66

स्रोत :– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख

सारिणी 2.18

प्राथमिक अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता।

विवरण	1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलबध	प्रस्तावित प्रा0 विद्यालय/EGS
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी आवादी 300 से अधिक है।	2936	2385	0	0
ऐसे ग्रामों बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	1559	1854	50	0

सारिणी 2.19

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्रा0 विद्यालय AIE
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 800 अधिक है।	2100	0	0
ऐसे ग्रामों बस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 800 से कम है।	6517	89	0

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी / आवश्यकता

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु नवीन विद्यालयों के भवन निर्माण जर्जर भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण , पेयजल सुविधा शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल हेतु प्राविधान किये गये थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित नहीं थे। जनपद प्रतापगढ़ में प्रथम वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के कारण प्रथम वर्ष की संख्या को क्षेत्रों से मांग में शामिल नहीं किया गया।

"अतः कुल वांछित संख्या में से द्वितीय वर्ष के प्राविधान को घटाकर सर्व शिक्षा अभियान के लिये प्राथमिक विद्यालयों हेतु 56 नवीन विद्यालय, 10, पुनर्निर्माण 1307 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 78 शौचालय, वांछित है।

इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्व शिक्षा अभियान में 90 नवीन विद्यालय, 3 पुनर्निर्माण, 128 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 32 शौचालय की मांग की गयी है।

सारिणी 2.20

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें { परिषदीय विद्यालय 1.7.2003 की स्थिति}

प्राथमिक स्तर		ग्रामीण विकास खण्ड क्षेत्रवार	नगर नगर क्षेत्रवार	योग योग
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	1552	38	1590
2.	एक कक्षीय विद्यालयों संख्या	09	—	09
	दो कक्षीय वि. की. सं.	1306	24	1330
	तीन कक्षीय ,, ,,	191	07	198
	चार कक्षीय ,, ,,	29	02	31
	पांच कक्षीय ,, ,,	10	01	11
	5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	05	01	05
	किराये के भवन	—	05	1590

3. मरम्मत योग्य विद्यालय लघु मरम्मत योग्या– 422, बृहत्त मरम्मत योग्य– 246
4. शौचालय– शौचालय युक्त विद्यालय 1512, शौचालय विहीन विद्यालय– 78 योग शौचालयों को आवश्यकता–78
5. हैण्ड पम्प– हैण्ड पम्प युक्त–1549, हैम्ड पम्प विहीन–41, योग–हैण्ड पम्प की आवश्यकता–41
6. चहार दीवारी–चहारदीवारी युक्त 425, चहारदीवारी विहीन–1165, योग– चहार दीवारी की आवश्यकता–1165

उच्च प्राथमिक स्तर

7. उच्च प्रा.वि. भवन–कुल सं.–307, भवन युक्त–273, भवन विहीन–10, जर्जर–24 (पुनर्निर्माण योग्य)
8. मरम्मत योग्य–लघु मरम्मत– 47, बृहद मरम्मत– 25
9. एक कक्षीय विद्यालय – शून्य
   दो कक्षीय विद्यालय– 14
   तीन कक्षीय– 64
   चार कक्षीय– 229
   पांच कक्षीय– शून्य
   पांच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय– शून्य
10. शौचालय विहीन – 80
11. हैण्ड पम्प विहीन– 41
12. चहार दीवारी विहीन– 171

सारिणी 2.21

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी / आवश्यकता

क्रमांक	विवरण	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	DPEP I / 11वें वित्त आयोग में प्रावधान जिला योजना / अन्य स्रोत	मांग DPEP के अतिरिक्त	कमी	DPEP III / 11वें वित्त आयोग में प्रावधान जिला योजना / अन्य स्रोत	मांग DPEI के अतिरिक्त
1.	नवीन विद्यालय	—	—	—	—	—	—
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	10	—	—	10	—	10
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1307	—	—	1307	—	128
	(प्रति शिक्षक / प्रति						
	कक्षा कक्ष एवं नामांकन	0			0		
	में वृद्धि के आधार पर)	0			0		
4.	पेयजल सुविधा	—	—	—	41	—	41
5.	शौचालय	78	—	—	78	—	32
6.	चहार दिवारी	—	—	—	—	—	—

स्रोत:-विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख

अध्याय– तीन

नियोजन प्रक्रिया

संविधान की धारा 45 में हमारे संविधानविदों ने एक सपना संजोया था कि समस्त 6से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में डी.पी.ई.पी. के तहत समस्त 6–11 वय वर्ग के बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11–14 वय वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को भी निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षक अभिभावक एवं जागरूक नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय लाना है।

नियोजन प्रक्रिया में हमें पंचायत राज संस्थाओं को भी सहभागी बनाना होगा तथा सबसे निचले स्तर पर संस्थाओं का भी सहयोग लेना होगा।

ग्राम स्तर पर नियोजन

इस स्तर पर हमने ग्राम तथा वस्ती के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वय वर्ग के बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया। इस स्तर के नियोजन में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया।

1 6–14 वय वर्ग के कुल बालक/ बालिकाओं की संख्या।

2 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।

3 विद्यालय न जाने वाले बच्चो की सख्या।

4 विद्यालय न जाने का कारण।

5 क्या गांव में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र है, यदि नहीं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आश्यकता है।

6 यदि प्रा. वि. है तो क्या उसके पास भवन या भौतिक संसाधन उपलब्ध है। यदि नहीं तो इसके सुधार के लिये ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं।

7 यदि ग्राम में मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नही है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।

8 क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या 40:1 के अनुसार है।

9 क्या विद्यालय में अध्यापक नियमित रूप से आते हैं।

10 शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों से विचार। उपर्युक्त विचार विमर्श के पश्चात ग्राम के उत्साही नवयुवकों, बुद्धिजीवियों तथा शिक्षकों द्वारा मिल जुल कर उक्त ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण में निम्न सूचनाएं प्रयुक्त हुई।

1 बस्ती/ मजरे की पूर्ण संख्या।

2 विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।

3 लिंगवार जन संख्या।

4 स्कूल जाने वाले/ न जाने वाले बच्चों की संख्या।

5 बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी।

6 विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी।

7 बालिका शिक्षा की स्थिति।

स्कूल चलो अभियान –

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाउस होल्ड सर्वेक्षण में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन हेतु शासन के निर्देशानुसार जुलाई 2003 में "स्कूल चलो अभियान" चलाया गया जिसमें जनपद के नामांकन का दर 5 प्रतिशत बढ़ गया। इस अभियान के अन्तर्गत किये गये विविध कार्यक्रमों में अन्य विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों/सदस्यों, ग्राम/विकास खंड/विधान सभा क्षेत्र/संसदीय

स्तरीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया।

इस अभियान के अन्तर्गत 30–6–2003 को विकास भवन के सभागार में उपर्युक्त समस्त प्रकार के लोगों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी। इसी दिन विकास भवन के सभागार में ही पत्रकार वार्ता जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत किये गये कार्यक्रम निम्नवत् रहे –

1. ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा 6–11 वय वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले एवं ड्राप आउट बालक/बालिकाओं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन।
2. ग्राम स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन
3. विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रमों के संचालनार्थ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व निर्धारण।
4. कक्षा 1 – 5 तक 6–11 आयु वर्ग के चिन्हित बच्चों का नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश।
5. विद्यालयों में प्रविष्ट छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण।
6. स्कूल चलो अभियान की समीक्षा।

सारिणी 3.1

स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत नामांकन

जनपद	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल चलो अभियान से पूर्व नामांकन			30.7.2003 तक नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्रतापगढ़	217573	193548	411126	5127	4971	10098	206739	181391	388190	212451	188577	401028

स्रोत – विभागीय आंकड़े

स्कूल चलो अभियान के लाभों को देखते हुए इसे सर्व शिक्षा अभियान में भी जारी रखा जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन करते समय जनपद के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण कराया गया जिससे स्कूल जाने वाले, एवं स्कूल न जाने वाले 6–11 वयवर्ग एवं 11–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्य रूप से लगाया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल न जाने के चार महत्वपूर्ण कारणों की पहचान की गयी तथा 6–14 वय वर्ग के बच्चें का इन चार वर्गों में विभाजन भी किया गया है। ये चार कारण निम्नवत् हैं–

(1) अपने घरेलू कार्यों में लगे रहना।

(2) मजदूरी में लगे रहना।

(3) छोटे भाई–बहनों की देखभाल।

(4) विद्यालय की अनुपलब्धता।

(5) अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् हैं–

सारिणी संख्या 3.3

क्र.	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	4264	4049	863	922	1458	1301	6585	6272	12857
2.	मजदूरी में लगे रहना	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	भाई–बहनों की देखभाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अन्य कारण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	4264	4049	863	922	1458	1301	6585	6272	12857

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	6–11 वय वर्ग के बच्चे									11–14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
1	कालाकांकर	103617	8685	19052	10166	8434	18600	201	251	452	5652	4918	10570	5562	4803	10455	90	115	205
2	बाबागंज	12451	11333	23784	12031	10936	22967	420	397	817	6004	5683	11687	5989	5486	11475	105	107	212
3	कुण्डा	17016	15473	32489	16618	15162	31780	398	311	709	8428	6798	15226	8339	6763	15102	89	35	124
4	लक्ष्मणपुर	10295	9524	19819	9950	9224	19174	415	300	715	6122	4772	10886	6055	4707	10762	67	56	123
1.	सांगीपुर	12432	11014	23446	12104	10738	22842	328	276	604	6503	5877	12380	6388	5773	12161	115	104	219
2.	लालगंज	9545	8502	18047	9322	8254	17576	223	248	471	5313	4842	10156	5268	4805	10073	45	37	82
3.	रामपुर संग्रामगढ़	10363	9128	19491	10156	8700	18016	207	368	575	6651	4100	10751	6488	3973	10461	163	127	290
4.	सण्डवा चंद्रिका	13236	10344	23580	12798	9961	22740	438	393	831	5750	5303	11052	5705	5221	10926	54	82	136
5.	बिहार	12632	12607	26239	13315	12307	25622	317	300	617	8018	5739	13757	7909	5650	13559	109	89	198
6.	सदर	13683	11820	25503	13371	11634	24006	312	196	508	7018	6208	13226	6971	6165	13136	47	43	90
7.	मानधाता	14116	13246	23362	13677	12886	26563	439	360	799	7197	6796	13993	7178	6729	13857	69	67	136
8.	मंगरौरा	15188	14093	29281	14928	13880	28808	260	213	473	8430	5937	14367	8339	5872	14208	94	65	159
9.	पट्टी	13562	11750	25312	13249	11450	24699	313	300	613	5978	4768	10746	5800	4716	10507	78	72	150
10	आसपुर देवसरा	12794	11796	24590	12668	11686	24384	106	100	206	6662	6199	12861	6567	6130	12697	85	69	154
11	शिवगढ़	13026	11776	24802	12806	11548	24354	220	228	448	6748	6191	12939	6669	6133	12802	79	58	137
12	गौरा	13029	11711	24740	12357	11432	24109	262	279	541	6957	6580	13537	6854	6513	13367	103	67	170
13	बाबाबेलखरनाथधाम	7435	5817	13252	7315	5565	12880	120	252	372	5966	4686	10654	5863	3964	9827	2	725	727
14	नगर क्षेत्र	5408	4929	10337	5200	4730	9930	120	252	372	6239	5375	11614	6173	5267	11440	66	108	174
	योग	217578	193548	411126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	217541	1458	1301	2759

सर्व शिक्षा अभियान हेतु नियोजन

इस दिशा में निम्नांकित प्रयास किये गये।

1 नियोजन टीम का गठन।

2 ग्राम स्तर पर बैठकें।

3 विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक।

4 जिला स्तर पर बैठक तथा विभिन्न विभागों से समन्वय/सम्पर्क।

5 F.G.D. (Fouce Group Diseusson) टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

1. नियोजन की टीम का गठन

जनपद सर्वप्रथम इस अभियान को पूर्ण रूप देने के लिये 10 सदस्यीय नियोज टीम का गठन किया गया। जिसमें चार जिला समन्वयक, एक सहायक बेसिक शि अधिकारी, 3 पति उपविद्यालय निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एक जि बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।

2. ग्राम स्तर पर बैठक

ग्राम स्तर पर उक्त नियोजन टीम द्वारा बैठक की गयी, जिसमें जन समुद को सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं महत्वपूण विन्दुओं पर बताया गया। यह चर्चा की गयी कि जनसमुदाय इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, बी.डी.सी. सद तथा शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन व्यक्तियों का सहयोग सर्व शि अभियान के उद्देश्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु किया जा रहा है।

3. विकास क्षेत्र स्तर पर बैठक

इस स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी, ब्लाक प्रमख, जिला पंचायत सदस्य. डी. सी. सदस्य, ग्राम प्रधानों, शिक्षक समुदाय, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक समन्वयक बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. ने प्रति

किया। प्रतिभाग किये गये लोगों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व पर विचार विमर्श किया गया।

4 F.G.D. (Focus Group Diseusson) टीम का गठन एवं विचार विमर्श।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के रूप में जिले में विभिन्न ग्राम स्तर पर बैठकें की गयी जिसमें क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. प्राथमिक, पूर्व मा. विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रति निधियों एवं उपस्थित नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला।

ग्राम स्तर पर हुई उक्त बैठकों से सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन समुदाय की अपेक्षाओं को जानने में मदद मिली और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी उक्त अभियान में अपनी भूमिका स्पष्ट हुई।

नियोजन में जनसमुदाय की सहभागिता हेतु हुई F.G.D. का विवरण निम्नव
है।

सारणी 3.3

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/ विचार विमर्श में जो डिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
21–11–2001	प्रा. वि. जन्तू वि. क्षे. सण्डवा चन्द्रिका	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–1 , क्षेत्रीय सहायक बे0 शि0 अधिकारी प्रति उ0 वि0 नि0, बी. आर. सी. समन्वयक एवं समन्वयक, क्षेत्र पंचायत सदस्य, अध्यापक दल, ग्राम प्रधान तथा स्थानीय नागरिक।	1. सर्व शिक्षा अभियान में 1:40 अनुसार अध्यापकों/ शिक्षा मित्रों पूर्ति। 2. बालिकाओं विशेषकर किशोर 11 से 14 वय वर्ग को पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध 3. स्कूल त्यागी बच्चों को विद्यालयों में नामांकन 4. सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लागू करने के तरीके पर विचार विमर्श। 5. 6–14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हि कर विद्यालय में नामांकित किया
23–11–2001	ग्रा0 वि0 मन्धाता वि. क्षे. मन्धाता	जि0 बे0 शिक्षा अधिकारी, क्षे0 सहायक बे0 शि0 अधिकारी, प्रति उ0वि0 निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, समन्वयक–14, ग्राम प्रधान, जेला पंचायत सदस्य, बी.डी.सी सदस्य	1. विद्यालय में बच्चों के ठहराव सम्बन्ध में। 2. असेवित बस्ती जहां मानक अनुसार विद्यालय नहीं खोले जा सक वहां शिक्षा केन्द्र खोलने के सम्ब में। 3. 40:1 के अनुपात में शिक्षक/ शि मित्र की उपलब्धता। 4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण परिधि में पूर्व मा0 दि0 के छात्रों भी शामिल करने पर विचार विमर्श

1	2	3	4
24--11--01	प्रा. वि. काशीपुर वि. क्षे. संग्रामगढ़	उप बे0 शि0 अधि0, सहायक बे0 शि0 अधि0 प्र0 उ0 वि0 नि0, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बी.डी.सी. सदस्य।	1.अल्प संख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की रणनीति, ऐसे समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना जो घुमन्तु जातियों के हैं।
25--11--01	प्रा. वि. सांगीपुर	उप बे0 शि0 अधि0, सहायक बे0 शि0 अधि0 प्र0 उ0 वि0 नि0, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बी. डी.सी. सदस्य।	1. असेवित बस्तियों में विद्यालय की आवश्यकता पर विचार विमर्श 2. विद्यालय भवनों तथा उनमें भौतिक संसाधनों की पूर्ति पर विचार विमर्श। 3. अनुसूचित जाति, गरीब वर्ग के बच्चों व बालिकाओं की शिक्षा पर विचार। 4. अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागृत करना तथा स्कूल त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय में नामांकन।
26--11--01	प्रा. वि. माधोगंज (नगर)	जि0 बे0 शि0 अधि0 शिक्षा अधीक्षक, उप बे0 शि0 अधि0 सभासद, नगर अध्यक्ष, अध्यापक	1. सभी विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिये अतिरिक्त कक्ष बनाने पर विचार विमर्श। 2. 6--14 वय वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश कराने का सुझाव।

1	2	3	4
27–11–01	प्रा. वि. बहोरिकपुर वि0 क्षे0 बाबागंज	खण्ड वि0 अधि0, ब्लाक प्रमुख, सहा0 बे0 शि0 अधि0 प्रति0 उ0 वि0 नि0 , ब्लाक समन्वयक, स्वयं सेवी संस्थान की अध्यक्षता सुश्री उर्मिला यादव।	1. अल्प संख्यक, एवं अनु0 जा बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक विद्याल की स्थापना। 2. छात्र संख्या के अनुस अध्यापक / शिक्षा मित्र की पूर्ति 40 के अनुपात में की जाय। 3. अधिक छात्र संख्या वाले विद्या में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण।
28 –11–01	प्रा. वि. छाछामऊ वि0 क्षे0 कालाकांकर	खण्ड विकास अधि0 ब्लाक प्रमुख, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान, शिक्षक समुदाय, अल्प संख्यक समुदाय, अनु जाति समुदाय।	1. ग्राम प्रधानों ने बालिका शिक्षा बढ़ावा देने हेतु अध्यापिकाओ की किया। 2.अल्प संख्यक समुदाय के बाल बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष दिया गया।
1–11–01	कार्यालय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मणपुर	सहायक बे0 शि0 अधिकारी, बी. आर.सी. समन्वयक, एन. पी. आर. सी. समन्वयक, अध्यापक गण,, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख	1. सर्व शिक्षा अभियान में 1:4 अनुपात में शिक्षक / शिक्षा मित्र नियुक्ति। 2. पूर्व मा0 वि0 में एक अनुभा 1.5 अध्यापक के अनुसार प दिया गया। 3. मकतब / मदरसों के छात्राओं को भी शिक्षा की मुख में लाने के तरीकों पर विचार।

1	2	3	4
28–11–01	क्षेत्र समिति पट्टी	ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, बी. डी. सी. सदस्य, शिक्षक समुदाय	1. बच्चों के बैठने के लिये टाट–पट्टी की व्यवस्था। 2. अध्यापकों की कमी की पूर्ति एवं बैठने के लिये कुर्सी की व्यवस्था। 3. विकलांग शिक्षा एवं बालिका शिक्षा पर विचार विमर्श।
22–11–01	ब्लाक संसाधन केन्द्र कुण्डा	खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, सनन्वयक, एन. पी. आर. सी. सनन्वयक, ग्राम प्रधान, बी.डी.सी. सदस्य, शिक्षक समुदाय।	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों अध्ययनरत छात्रों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर विचार विमर्श। 2. विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय। 3. पूर्व मा. वि. में भी अनुभाग अनुसार एक अनुभाग पर अध्यापक की नियुक्ति पर विचार विमर्श।

सारिणी 3.4

जनपद स्तर पर नियोजन हेतु बैठक

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक / विचार विमर्श में जो [illegible] उभरे उनका संक्षिप्ति विवरण
1	2	3	4
09–11–2001	शिविर कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़	जिलाधिकारी, मुख्य विकासक अधिकारी एवं डी. पी. ई. पी. के अधिकारियों के साथ।	1. सर्व शिक्षा अभियान के विषय चर्चा की गयी तथा पर्सपेक्टिव [illegible] बनाने हेतु रणनीति तय की गयी। [illegible] भी निर्णय लिया गया कि जनपद में [illegible] योजना का ग्राम स्तर तक प्रचार--प्र[illegible] कियका जाय।
12–11–2001	" " "	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के साथ।	सर्व शिक्षा अभियान के वि[illegible] में जानकारी दी गयी, पर्स पे[illegible] प्लान बनाने हेतु आधारभूत सूचना[illegible] का प्रपत्र वितरित करते हुये [illegible] भरने का विधिवत् प्रशिक्षण दिया ग[illegible] सूचनाएं 23–11–2001 की बैठक [illegible] लाने को कहा गया प्रचार प्रसार [illegible] न्याय पंचायत स्तर पर पूरे जनपद [illegible] एक साथ दिया गया
23–11–2001	" " "	" " "	सर्व शिक्षा अभियान [illegible] सम्बन्धित सूचनाओं के निर्माण म[illegible] संदेह के विन्दु उभरे हैं उन[illegible] निराकरण किया गया

.......P. T. O.......................

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक / विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्ति विवरण
1	2	3	4
28–11–2001	शिविर कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़	बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. एवं जन प्रतिनिधियों के साथ।	सर्व शिक्षा अभियान के विषय में जानकारी दी गयी। पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण एवं प्रचार – प्रसार हेतु सहयोग का आह्वान किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त एन. पी. आर. सी. समन्वयक ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें कर प्रचार करते रहें।
4–12–2001	सभाकक्ष, कार्यालय विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	ए.डी. बेसिक. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ।	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उनके द्वारा प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। डी. पी. ई. पी. के अनुभवों के आधार पर उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया।
11–12–2001	,, ,, ,,	बी. आर. सी. / एन. पी. आर. सी. के समन्वयकों के साथ।	शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार के विषय में विस्तार से चर्चा की गयी। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विज कोर्स एवं ई. जी. एस के लिए स्थल चयन हेतु बस्तियों का सूची करण का कार्य किया गया।
12–12–2001	विभास भवन सभागार	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी बी. एल. पी. से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी सचिव, वी. एल. पी. आदि के साथ।	सर्वसम्बन्धित को सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्सपेक्टिव प्लान में डी. डी. ओ. बी. डी. ओ. एवं सभी पी. एल. पी. का सहयोग लिया जाय।

तिथि	स्थल	प्रतिभागी का विवरण	बैठक/ विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्ति विवरण
1	2	3	4
13–12–2001	सभाकक्ष कार्यालय विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के साथ।	सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान को अन्तिम रूप दिया गया।
15–12–2001	सभाकक्ष कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी	डी. डी. ओ., बी. डी. ओ. सचिव, पी. एल. पी. एन. जी. ओ. एस. के प्रतिनिधि पत्रकार आदि।	सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में बनाये गये पर्सपेक्टिव प्लान के प्राविधानों की जानकारी देते हुये उस पर आम सहमति प्राप्त की गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु की गयी बैठकों का विवरण

सारिणी सं. 3.5

क्र.	विकास खण्ड का नाम	दिनांक	09/11	10/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12
1	कालाकांकर							✓													✓																
2	बाबागंज							✓												✓																	
3	कुण्डा							✓							✓																						
4	बिहार							✓																													
5	सांगीपुर							✓									✓																				
6	लालगंज							✓																													
7	लक्ष्मणपुर							✓						✓																							
8	सण्डवा चन्द्रिका							✓						✓																							
9	सदर							✓																													
10	मान्धाता							✓								✓																					
11	मंगरौरा							✓																													
12	पट्टी							✓													✓																
13	आसपुर देवसरा							✓																													
14	शिवगढ							✓																													
15	गौरा							✓																													
16	रामपुर संग्रामगढ़							✓									✓																				
17	नगर क्षेत्र																	✓																			
13	[illegible]	✓			✓											✓					✓						✓							✓	✓	✓	

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एजेन्सी/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयः–

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयक स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र – छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिसमें चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को कराया जा सके तथा स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य कार्ड व स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी रजिस्टर का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाये।

विकलांग कल्याण विभाग से से समन्वयः–

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र/ छात्राओं को उपकरण/ उपस्कर {ट्रायसाइकिल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, चश्मा, छड़ी इत्यादि} उपलब्ध करने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाये। चिहिन्त विकलांग बच्चों को उपकरण यंत्र चिकित्सक परामर्श पर शासन द्वारा विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/यंत्रों के वितरण में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

एन0 आई0 सी0 से समन्वय :–

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के जनपदीय कार्यालय से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं तथा उनका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –3 के विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है। जैसे– ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्ययोजना आदि। इसके अतिरिक्त जनपद के पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में भी समन्वयक स्थापित किया गया तथा सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव पलान बनाने में भी उनसे प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय :–

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन. जी. ओ. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन

किया जाता है और आई. सी. डी. एस. के साथ समन्वय स्थापित करके उनके आंगन बाड़ी केन्द्रों को डी. पी. ई. पी. योजनान्तर्गत संचालित किया जाता है आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय परिषदीय विद्यालयों के समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण अथवा उनके निकट की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है इन केन्द्रों को ई. सी. सी.ई. केन्द्र कहा जाता है।

समाज कलयाण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से समन्वयः—

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अनु0 जाति के छात्रों छात्राओं को एवं अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 300/— उच्च प्राथमिक विद्यालय में 480/— प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वयः—

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को क्रमशः 300/— व 480/ की दर से प्रति वर्ष छात्र वृत्ति दी जाती है जिससे छात्र/ छात्राओं को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

ग्राम पंचायतों से समन्वयः—

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना एवं शिक्षा योजना को सफल बनाने हेतु सहयोग देना ग्राम प्रधान का प्रमुख दायित्व है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण,

माइक्रोप्लानिंग, शिक्षा मित्रों का चयन, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, आचार्यों की नियुक्ति, ई. सी. सी. केन्द्रों के संचालन में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका निभाई जा रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वयः—

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को 3 किलो ग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है। इस योजना से विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में सकारात्मक वृद्धि होती है जिससे शिक्षा का प्रतिशत में वृद्धि होती है।

उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वयः—

उपरोक्त दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलबध कराने हेतु हेण्डपम्पों की स्थापना की जाती हैं तथा जो हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं उनकी समय समय पर मरम्त भी करते हैं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वयः—

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी. आर. डी. ए.) के सहयोग से विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग द्वारा तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

युवा कल्याण विभाग से समन्वयः—

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता करायी जाती है ताकि छात्र छात्राओं में खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय जनसमुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

खेलकूद विभाग से समन्वयः--

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के रूप में खेलकूद को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्यालय स्तर से लेकर जनपद स्तर एवं उसके बाद मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर खेल कूद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। जो क्रीडा विभाग से समन्वय के अभाव में असम्भव होती। इस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय– चार

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यः–

सभी के लिये शिक्षा विषय पर सेनेगल के डकार नामकार स्थान में अप्रैल 2000 में एक बेठक हुई जिसमें एन. ई. एफ. के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में शिक्षा को मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। डकार सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सन 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया :–

1– अपवंचित वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधाओं का विस्तार।

2– विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों एवं विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं को 2015 तक उत्तम गुणवत्ता की निःशुल्क एवं पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इनमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान अपेक्षित होगा।

3– युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को सन् 2015 तक जीवनोपयोगी एवं उचित अधिगम हेतु योजनाएं बनाना।

4– सन् 2015 तक कम से कम 50 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना जिसमें बेसिक एवं सतत शिक्षा के माध्यम से युवाओं एवं प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

5– सन् 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंगानुपात में अन्तर को समाप्त किया जाना जिसमें बालिकाओं के उत्तम गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाय।

6– सन् 2015 तक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा साक्षरता गणितीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षा को प्राप्त करना तथा सबके द्वारा शिक्षा की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसका स्वयं परिचय एवं गायन हो।

उक्त लक्ष्यों को ' डकार गोल' के नाम से अभिहित किया गया। डकार गोल को सन् 2015 तक प्राप्त करने का निर्णय किया गया था जब कि भारत में ' सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन लक्ष्यों को 2010 तक प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सबको शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति निर्धारित की गयी है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रम पूरे देश में लागू किये जा रहे हैं। समस्त उद्देश्य के पूर्ति के लिये पूरे देश में एक स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान लागू करने की शासन द्वारा एक परिकल्पना की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न लिखित है।

उद्देश्यः–

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के निम्न लिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

1– 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत खुले केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय में छात्रों का नामांकन।

2– 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी बच्चे पूरी करें।

3– 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी करें।

4– नामांकित सभी बच्चों को संतोषजनक एवं गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5– प्राथमिक स्तर पर 2007 तक सामाजिक विषमताओं को तथा जेण्डर {लिंग} भेद को समाप्त करना।

6– 2010 तक शत् प्रतिशत सबको शिक्षित करना सुनिश्चित किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा आठ तक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1— सन् 2003 तक सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक विद्या केन्द्र बैक टू स्कूल शिविर { वापस स्कूल चलो कैम्प} आदि में शत् प्रतिशत नामांकन कराना।

2— सन् 2007 तक समस्त नामांकित बच्चों को कक्षा पांच तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।

3— सन् 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

4— गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

5— समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य तथा बालक बालिका में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर भेद—भाव समापत करना।

6— सन् 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।

7— सन् 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उपुर्यक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को अंगीकार करते हुये जनपद प्रतापगढ़ के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो निम्नवत है।

नामांकन के लक्ष्यः—

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की जनगणना की वार्षिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत है जबकि सन् 1991 की जनगणना में यह दर 2.0 प्रतिशत थी। इस वार्षिक वृद्धि दर में वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की अपेक्षित कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			GER
	बालक	बालिक	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	204326	199707	404033	198378	194340	392718	97.19
2002–03	207390	202702	410092	201583	197026	398609	97.20
2003–04	217578	193548	411126	212451	188577	401028	97.54
2004–05	220678	215691	436369	226528	220971	447499	102.5
2005–06	226415	221298	447713	235172	226422	461594	103
2006–07	232301	227151	459352	240835	236512	477347	104
2007–08	238340	232954	471294	250468	245972	496440	105
2008–09	244536	239010	483546	260487	260745	521232	108
2009–10	250893	245224	496117	270906	272478	543384	110

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			GER
	बालक	बालिक	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	88681	78787	167468	82608	63793	146401	87.42
2002–03	90986	80835	171821	85472	68819	154291	89.79
2003–04	119604	100696	220300	118146	99395	217541	98.75
2004–05	122713	103314	226027	120381	101351	221732	98.10
2005–06	125167	105380	230547	122913	103378	226291	98.15
2006–07	128421	108120	236541	128421	108120	236541	100
2007–08	131760	110931	242691	135712	114259	249971	103
2008–09	135181	113815	248996	141264	118937	260201	104.50
2009–10	138695	116774	255469	152564	128451	281015	110

वर्ष 2001 की जनगणना की विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/पगीश अनुसूचित, जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े प्राप्त हैं तथा उनका समावेश प्राथमिक स्तर पर 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को वर्ष 2007 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

कुल नामांकन में कुछ कम उम्र के बच्चे तथा कुछ अधिक आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे इस लिये जी. ई. आर. का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। नामांकन के लक्ष्य में यह भी उल्लिखित है कि प्राथमिक स्तर पर सन् 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 के बाद जी. ई. आर में वृद्धि कम होगी। क्योंकि 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष के वय वर्ग में जितने बच्चे बढ़ेंगे, उतने ही बच्चें नामांकन में भी बढ़ेगे।

ठहराव के लक्ष्य–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना में सन् 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा सन् 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत हैं।

सारणी 4.3

प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
2000–01	33.3	66.7
2001–02	32	68
2002–03	25	75
2003–04	26	74
2004–05	09	91
2005–06	06	94
2006–07	0	100
2007–08	0	100
2008–09	0	100
2009–10	0	100

सारणी 4.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट दर

वर्ष	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	ठहराव
2000–01	18	82
2001–02	16	84
2002–03	13	87
2003–04	14	86
2004–05	05	95
2005–06	03	97
2006–07	0	100
2007–08	00	100
2008–09	00	100
2009–10	00	100

परियोजना क्रियान्वयन के समय जिले में ड्राप–आउट के सम्बन्ध में कोई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करके इस विधा को समाप्त करने में ठोस कदम उठाया जायेगा।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कला जत्था के कार्यक्रम, मीना कैम्पेन, ठहराव परिक्रमा, तारांकन, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, माता शिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ/ महिला प्रेरका दल का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय— पांच

समस्याएं एवं रणनीतिः—

जनपद प्रतापगढ़ में विभिन्न स्तरों से कराये गये सर्वेक्षण, अधिकारिक गोष्ठियां, ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषण से उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एवं संतुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमें मुख्य समस्याएं छात्र नामांकन, बच्चों का विद्यालय में ठहराव, अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्तियां, विद्यालय भवनं का पुनर्निमाण नवीन भवन निर्माण, हैण्ड पम्पों की स्थापना एवं मरम्मत शौचालयों का निर्माण एवं रख—रखाव विद्यालय प्रांगण की सजावट से सम्बन्धित समस्याएं उभर कर सामने आयी है।

उपर्युक्त समस्याओं को विद्यालय स्तर पर क्षेत्र स्तर पर एवं जनपद स्तर पर दूर करने हेतु जो रणनीति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है वह निम्नवत है।

समस्याएं	निराकरण के उपाय
1— आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	इस कार्य के निमित्त महिला मंगल दल, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री, ए. एन. एम. कल जत्था द्वारा जनसम्पर्क करना तथा ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
2— शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध	छात्रों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास करने हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा, कार्यानुभव योजना लागू की जाय, बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरीय क्षेत्रों

	में ब्यूटी पार्लर, फाइन आर्ट, चटाई निर्माण बैग बनाने का प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध देना, सिलाई कढ़ाई के लिये ग्रामीण अंचलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध छात्रों की रूचि के अनुरूप सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था की जाय, कढ़ाई के लिये बुनाई मशीन की व्यवस्था की जायेगी उनके रख–रखाव पर व्यय विद्यालय को प्राप्त अनुदान से करायी जायेगी।
3– असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय की सुविधा न होना।	डेढ़ किलो मीटर की दूरी तथा 300 की आबादी वाले बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत एक किमी की दूरी पर 6–8 आयु वर्ग के बच्चों हेतु विद्या केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है। 9–14 आयु – वर्ग के बच्चों के लिए ए. आई. ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। घनी बस्तियों में स्थित विद्यालयों में द्विपाली योजना।
4– भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के शैक्षिक अवरोध	नदी–नाले जंगल, झील, रेलवे लाइन आदि के कारण विद्यालय तक छात्रों के न पहुंच पाने के कारण शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नवाचार शिक्षा केन्द्र छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जायेंगे।

5– विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा– कक्षों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, शौचालय तथा चहारदीवारी की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बैठने के लिये छात्र संख्या के आधार पर काष्ठ उपकरण की व्यवस्था कराने की योजना है।
6– शिक्षा के मूल उद्देश्यों से अभिभावकों की अनभिज्ञता।	शिक्षा के मूल उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों द्वारा जैसे नुक्कड़ नाटक, कला जत्था, चलचित्र प्रदर्शनी से अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा तथा उन्हें नौकरी से आवश्यक शिक्षा का ज्ञान गोष्ठियों द्वारा कराया जायेगा।
7– शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी	शिक्षक की छवि समाज में तथा छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक गुणवत्ता परक तथा विशिष्ट प्रभावकारी हो इसके लिये शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे उनके विषय वस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल करने के लिये प्रशिक्षित करके ग्राम शिक्षा समितियों से समन्वय स्थापित कराया जायेगा।

8– विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	40:1 छात्र अध्यापक का अनुपात है, इस कमी को शिक्षा मित्र की नियुक्ति करके पूरी की जायेगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक कम है अतएव योग्य शिक्षा मित्रों को पूर्व–माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रूप में समायोजित किया जायेगा, शिक्षा मित्र के चयन में अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाना प्रस्तावित हे।
9– विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण होना	प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण कराया जायेगा तथा प्रांगण में विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फूल दार वृक्ष द्वारा लगाये जायेंगे अधिक बड़े प्रांगण में फलदार वृक्ष लगाना प्रस्तावित है।
10– विद्यालय का शैक्षिक वातावरण	बच्चों के समूह चर्चा हेतु बैठने हेतु दरी तथा काष्ठोपकरण उपलब्ध कराया जायेगा, बच्चों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालय का प्रांगण घर से अधिक सुन्दर बनाया जायेगा जिससे बच्चे अधिक समय विद्यालय में दे।

11– विद्यालय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट के प्रवक्ता, प्रति उ0 नि0, बी9 आर0 सी0, समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा, तथा निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में पदोन्नति कराया जायेगा।
12 सामाजिक सहभागिता की कमी	विद्यालय के प्रति अभिभावकों में यह सोच लायी जाय कि विद्यालय हमारा है तथा इसमें अच्छे पठन पाठन से हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। इस कार्य के लिये ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग लिया जाय, माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, अनुशासन, स्वच्छता, साज सज्जा में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता ली जाय, गरीब बच्चों को गणवेष हेतु ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित किया जाय।
13 विकलांग बच्चों के लिये शिक्षण व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर उनको उपलब्ध होने वाली सुविधाएं देने हेतु प्रस्तावित किया जाये पैर से विकलांग वाले बच्चों को अन्य विभागों को सूचना देकर ट्राई सायकिल, जूता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

14– अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था मे कम समय दे पाता है वह सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें सूचनाएं ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड कर दी जांय तथा अन्य शासकीय कार्यों में अध्यापक का कम से कम योगदान लिया जाय, जिससे वह विद्यालय में अधिक से अधिक समय दे सकेगा।
15– सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटि– पूरक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन का विशेष महत्व है, मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक कराया जायेगा, कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर छुट्टियों में भी शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत वर्गीकरण किया जा रहा है–

{क} नामांकन में समस्याएं

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	निर्धारित दूरी के अन्तर्गत विद्यालयों का न होना	नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगे

क्रमांक	समस्याएं	रंणनीति
2	प्राकृतिक अवरोधों के कारण छोटे बच्चों का विद्यालय की पहुंच से बाहर होना	शिक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत विद्या केन्द्र खोले जायेंगे।
3	मलिन बस्तियों / अल्प संख्यक बस्तियों एवं बाल श्रमिकों की बस्तियों से विद्यालय दूर होना	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
4	अभिभावकों द्वारा शिक्षा के महत्व को न समझना	ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
5	अध्यापकों को सेवित क्षेत्र के विद्यालय न आने वाले बच्चों की जानकारी न होना	माइक्रो प्लानिंग एवं ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कराया जायेगा।
6	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।
7	समुदाय का सहयोग न होना।	स्कूल चलो अभियान, वी. ई. सी. प्रशिक्षण कराया जायेगा।
8	ग्राम स्तर पर आवश्यकता का सही आंकलन न होना।	पी. आर. ए. कराया जायेगा।
9	अभिभावकों का गरीब होना	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें का वितरण कराया जायेगा।

{ख}ठहराव की समस्या		
क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	अभिभावकों का शिक्षा में रूचि न लेना।	शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2	विद्यालय में शौचालय न होने के कारण लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं।	विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।
3	विद्यालय में पेय जल का अभाव	विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे।
4	विद्यालय भवनों का जर्जर होना	जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा।
5	कक्षा – कक्षों का टूटा फूटा होना।	कक्षा–कक्षों की मरम्त कराई जायेगी।
6	छात्र अध्यापक अनुपात अधिक होना।	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।
7	विद्यालय दूर होने के कारण बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पातीं।	महिला प्रेरक दल का गठन व प्रशिक्षण कराया जायेगा।
8	अभिभावकों का विद्यालयों पर विश्वास नहीं होना।	मातृ / अभिभावक शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा।
9	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिरूचि न होना।	मां बेटी मेलों का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन कराया जायेगा।
10	अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना।	मीना कैम्पेन का आयोजन कराया जायेगा।
11	अध्यापकों का लिंग के प्रति संवेदन हीन होना	जेंडर सेन्सटाईजेसन प्रशिक्षण कराया जायेगा।

{ग} गुणवत्ता की समस्या

क्रमांक	समस्याएं	रणनीति
1	अध्यापकों का दक्ष न होना।	अध्यापकों / शिक्षा मित्रों / आचार्यों / अनुदेशकों / ई. सी. सी. ई. कार्य कत्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
2	ग्राम शिक्षा समितियों का निष्क्रिय होना।	ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
3	प्रशासनिक तंत्र का शिक्षा में रूचि न लेना।	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / समन्वयक वी. आर. सी. / एन. पी. आर. सी. का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4	पाठ्यक्रम का रूचिपूर्ण एवं बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल न होना।	नई पाठ्य पुस्तकों की रचना की जायेगीं
5	अध्यापक पाठ्य पुस्तकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं।	शिक्षक संदर्शिकोंओं का निर्माण कर अध्यापकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6	विद्यालयों का गुणवत्ता युक्त न होना।	विद्यालयों का श्रेणीकरण कराकर स्थिति में सुधार लाया जायेगा।

अध्याय– छः

शिक्षा की पहुंच का विस्तारः–

1. वर्ष 2000–2001 से इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अनन्तर्गत 78 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करायी जा चुकी है। निरन्तर जसंख्या बृद्धि होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों की कमी होती जा रही है। सर्वेक्षण के अनुसार जनपद के विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में निम्नलिखित संख्या में प्राथमिक विद्यालय वांछित है–

सारिणी 6.1

क्र.सं.	विकास क्षेत्र कानाम	नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या { प्रस्तावित}
1	कालाकांकर	2
2	बाबागंज	3
3	कुण्डा	3
4	बिहार	3
5	सांगीपुर	2
6	लालगंज	2
7	लक्षमणपुर	2
8	सण्डवा चन्द्रिका	2
9	सदर	2
10	मान्धाता	3
11	मंगरौरा	3
12	पट्टी	5
13	आसपुर देवसरा	4
14	शिवगढ	5
15	गौरा	4
16	रामपुर संग्रामगढ़	6
17	बाबाबेलखरनाथधाम	4
18	नगर क्षेत्र	1
	योग	56

2 . उच्च प्राथमिक नवीन विद्यालयों की जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III "तृतीय" के अन्तर्गत स्थापना का कोई प्राविधान नही रखा गया था। इसलिए जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निरन्तर कमी होती जा रही है। प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अपेक्षित है। परन्तु संसाधनों को देखते हुए प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र में निम्न लिखित उच्च प्राथमिक विद्यालय आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये गये हैं।

सारिणी 6.2

क्र.सं.	विकास क्षेत्र कानाम	आवश्यकता प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	कालाकांकर	4
2	बाबागंज	6
3	कुण्डा	8
4	बिहार	7
5	सांगीपुर	6
6	लालगंज	4
7	लक्षमणपुर	4
8	सण्डवा चन्द्रिका	3
9	सदर	2
10	मान्धाता	5
11	मंगरौरा	6
12	पट्टी	3
13	आसपुर देवसरा	5
14	शिवगढ	6
15	गौरा	4
16	रामपुर संग्रामगढ़	8
17	बाबाबेलखरनाथधाम	8
18	नगर क्षेत्र	1
	योग	90

अतएव सर्वशिक्षा अभियान में कुल 90 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर देने से असेवित बस्तियां स्वतः सेवित हो जायेंगी।

सारिणी 6.3

नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य :

वित्तीय वर्ष	नवीन प्राथमिक विद्यालय	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय
2002–03	–	27
2003–04	56	63
2004–05	–	–
2005–06	–	–
2006–07	–	–
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–10	–	–
योग	56	90

शिक्षा की व्यवस्था :–

प्राथमिक विद्यालयों में स्थापना होते समय एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र के चयन में योग्य अधिक योग्य अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। भवन निर्माण तक ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालय स्थापित होने पर अस्थाई पठन पाठन की व्यवस्था कराई जायेगी। अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से शत प्रतिशत छात्र नामांकन कराकर उन्हें विद्यालया में शिक्षा पूर्ण करने हेतु रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में एक विषय अध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान रखा गया है। नवीन स्थापित विद्यालय म अनुभवी अध्यापकों का चयन कराने में वरीयता दिया जाय। अध्यापकों/शिक्षा मित्रा के चयन पर 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के चयन को वरीयता प्रदान किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ड्रोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को इस धनराशि से जिन सामग्रियों को क्रय करना होगा वे इस प्रकार हैं– मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बाँसुरी आदि) क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लासरूप टीचिंग मैटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब ज्ञान कोष, शब्द कोष, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। इनका भी क्रय जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

पेयजल, शौचालय एवं चहार दीवारी :–

विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित / उपलब्ध स्थल पर कराया जायेगा। यह प्रयास रहेगा कि विद्यालयों की स्थापना आबादी से दूर शुद्ध वातावरण में तथा छायादार वृक्षों के सन्निकट कराया जायेगा। इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इनके रख रखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय हेतु विद्यालय को धन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के सन्निकट छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगीं इसे स्वच्छ रखने हेतु विद्यालय को वर्ष में कुछ धन का प्रस्ताव कर दिया जायेगा। प्रत्येक नवीन विद्यालय की अपनी एक चहार दीवारी होगी जिसके निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था :–

विद्यालय भवन, शौचालय तथा बाउन्ड्री का निर्माण का दायित्व तथा ग्राम शिक्षा समिति का होगा। समस्त सदस्य निर्माण गुणवत्ता की जांच समय समय पर करते रहेंगे। तकनीकी जानकारी हेतु विकास खण्डों पर उपलब्ध अवर अभियन्ता का सहयोग मिलता रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान से भवन शौचालय तथा चहारदीवारी का धन एक साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। अवसर अभियंताओं को अनेक सहयोग के लिये मानदेय की भी व्यवस्था की जा रहीं है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत में कमी लाने की व्यवस्था :–

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण यथा सम्भव प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाय जिससे चहार दीवारी की लागत में कमी आयेगी ओर यह धन विद्यालय के साज सज्जा तथा सौन्दर्यीकरण में व्यय किया जायेंगा। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसे अभिभावकों या सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रेरित किया जाय जो विद्यालय में सहयोग देने योग्य हों इस प्रकार

से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय की साज सज्जा में खेलकूद उपकरण क्रय करने में तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण में किया जायेगा।

भवन निर्माण अथवा बाउन्ड्री निर्माण में ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से श्रमदान कराकर मजदूरी पर होने वाले व्यय पर बचत की जा सकती है ओर इस धन का उपयोग विद्यालय के रख–रखाव में किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करायी जा सकती है। जिसमें शिक्षा के साथ साथ छात्रों का बौद्धिक स्तर और अधिक विकसित हो सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाय जो अपने या अपने किसी पूर्वज के नाम से विद्यालय परिसर में किसी निर्माण कार्य की स्थापना करना चाहते हैं।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षणः–

राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र का बस्तीवार सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा सेवित असेवित बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्प संख्यकों के साथ गोष्ठी, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के साथ गोष्ठी, पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के साथ गोष्ठी, क्षेत्र स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों की गोष्ठी करके सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में 1.5 किमी की दूरी तथा 300 जनसंख्या और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 3 किमी की दूरी तथा 800 जन संख्या के मानक को ध्यान में रखा गया है। आवश्यकता अनुसार केवल उतने ही नये विद्यालयों के खोलने का प्रस्ताव किया

गया है। जिससे तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण हेतु रूपये दो लाख का प्राविधान सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में कर दिया गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूरे जनपद में भवन निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय तथा चहार दीवारी निर्माण इत्यादि कार्यो की गुणवत्ता जांच के लिये एक तकनीकी प्रकोष्ठ की परिकल्पना की गयी है जिसमें पांच अवर अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता {तकनीकी} रखा जायेगा। यह प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत निर्मित समस्त कार्यो का निरीक्षण तथा गुणवत्ता की जांच करता रहेगा एवं अच्छे निर्माण करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को समय समय पर तकनीकी परामर्श भी देता रहेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय सात

शिक्षा की पहुँच का विस्तार भाग–2

शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक, शिक्षा / नवाचार–

भारत के संविधान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चो के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है।

स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बीच मे विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा कामकाजी बालक एवं बालिकाओं के लिए संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप का रिव्य / मूल्यांकन भारत सरकार के योजना आयोग के प्रोग्राम मूल्यांकन आर्गनाइजेशन द्वारा किया गया।

तत्कालीन शिक्षा के स्वरूप एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पायी गयी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएं शिक्षा नीति 1986 एवं उसके प्रोग्राम आफ एक्शन 1992 के उद्देश्यों को पूर्ण करने मे अपेक्षाकृत सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही थी।

अतः भारत सरकार द्वारा तत्समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप को पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया।

झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल--श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा चलाये जा रहे सकतवों/मदरसों में बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किया जाने के उद्देश्य से इनके क्षेत्रों में भी AIE योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि, जहॉ पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होंगे) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी। जिससे वे बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दें।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प :

सडक/प्लेटफार्म मलिन बस्तियों, दकानों, घमन्त, बच्चों, नौकरी, पेशा, कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिसके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिक/खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यत 9–14 है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर/बैक टू स्कूल कैम्प संचालित किये जायेगें।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों/बैक टू स्कूल कैम्प का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रहे इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाना है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार अधिक आयु के बच्चो को इन शिविरों में लाया जायेगा परन्तु फिर भी इन बच्चों का वय वर्ग सामान्यतः 9 से 14 वर्ष होना चाहिए

कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की शिविर की अवधि हो सकती है।

भारत सरकार के निर्देशों में यद्यपि इन शिविरों में न्यूनतम् बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं है फिर भी प्रदेश सरकार के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों में न्यूनतम् 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें तथा यह शिविर आवासीय होंगे।

इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविर के लिए एक केयर टेकर दो पैरा टीचर एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों तथा ब्रिज कोर्स/शिविरों का कार्यक्रम का नियोजन एवं माइक्रोप्लानिंग :–

प्रत्येक विकास क्षेत्र में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स/शिविरों का निर्धारण क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद में माइक्रोप्लानिंग का कार्य DPEP द्वारा पूरा किया जा रहा है माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किए जाने है माइक्रोप्लानिंग का कार्य विधिवत् रूप से कराया जा रहा है।

माइक्रोप्लानिंग के कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र में 6–14 वय वर्ग के बच्चों का

4– ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन बाल श्रमिक एवं खतरनाक, गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।

5– ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारंटी योजना के विद्यालय न हो।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जाएगा। जो पहुँच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय :–

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे, संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक – चयन

अनुदेशक यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा

अधिकारी, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति मे मकतवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबो में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों को न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गयी है। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सकेंगे वहां पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य संविदा पत्र भराया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारंभ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रूपये 1000.00 प्रति अनुदेशक दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक

4– ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन बाल श्रमिक एवं खतरनाक, गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो।

5– ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारंटी योजना के विद्यालय न हो।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जाएगा। जो पहुँच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय :–

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे, संचालित किये जायेगें।

अनुदेशक – चयन

अनुदेशक यथा संभव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा

अधिकारी, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति मे मकतवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबो में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशकों को न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गयी है। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सकेंगे वहां पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भराया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारंभ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रूपये 1000.00 प्रति अनुदेशक की दर से संबंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक

नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चो का तिमाही, छमाही था वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चा शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खंड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि मे उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधारों से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक :–

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत् है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए रुपये 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200.00 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम् धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में 6 प्रतिशत राज्य स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड के प्रबन्धन की अधिकतम धनराशि रूपये 2.50 लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है :–

क्र0 सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रु0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक	रु0 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए रु0 1000.00 प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रु0 1500.00 प्रति वर्ष 30 दिनों के लिए रु0 50 प्रतिदिन की दर से	रु0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिए 50 रु0 प्रतिदिन 40 दिनो के लिए।
3.	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रु0 1000 प्रति केन्द्र /	रु0 1500 प्रति केन्द्र
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	2250 प्रति केन्द्र	2750 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रु0 468.75 प्रति केन्द्र	रु0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम् लागत से 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है। विकास खंड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी गयी है।

80–100 कन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख रु0 प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रु0 प्रति वर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.5 लाख रु0 प्रतिवर्ष

25 केन्द्र से कम – रु0 100 प्रति छात्र / छात्रा प्रतिवर्ष

ब्रिज / कोर्सो / शिविरों का वित्तीय मानक :–

ब्रिज कोसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र / नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा जिसमे बच्चों के रहने तथा खाने–पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी / अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी गयी है परन्तु किसी भी दशा में 1500.00 रुपये प्रति छात्र / छात्रा से अधिक कदापि नहीं है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जायेगी। इसके

नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चो का तिमाही, छमाही था वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चा शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खंड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि मे उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधारों से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

वित्तीय मानक :–

प्रत्येक केन्द्र की लागत इस बात पर निर्भर करेगी उसमें कितने बच्चे अध्ययनरत् है। प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए रुपये 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष और अपर प्राइमरी स्तर के लिए 1200.00 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की अधिकतम् धनराशि की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत की जा सकती है। इस व्यवस्था में 5 प्रतिशत राज्य स्तर का प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड के प्रबन्धन की अधिकतम धनराशि रूपये 2.50 लाख सम्मिलित होगी। अधिकतम सीमा तक केन्द्र लागत निम्नवत् रखी जा सकती है :–

क्र0 सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रु0 1000.00 प्रति माह प्रति अनुदेशक	रु0 2000.00 प्रति माह दो अनुदेशकों के लिए रु0 1000.00 प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रु0 1500.00 प्रति वर्ष 30 दिनों के लिए रु0 50 प्रतिदिन की दर से	रु0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिए 50 रु0 प्रतिदिन 40 दिनों के लिए।
3.	बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री	रु0 1000 प्रति केन्द्र/	रु0 1500 प्रति केन्द्र
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	2250 प्रति केन्द्र	2750 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रु0 468.75 प्रति केन्द्र	रु0 500.00 प्रति केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम् लागत से 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा विकास खंड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है। विकास खंड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम् लागत निम्नवत् रखी गयी है।

80–100 कन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख रु0 प्रतिवर्ष

50–80 केन्द्रों के मध्य – 2 लाख रु0 प्रति वर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – 1.5 लाख रु0 प्रतिवर्ष

25 केन्द्र से कम – रु0 100 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

ब्रिज/कोर्सों/शिविरों का वित्तीय मानक :–

ब्रिज कोर्सों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने–पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी। इसकी लागत प्राइमरी/अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी गयी है परन्तु किसी भी दशा में 1500.00 रुपये प्रति छात्र/छात्रा से अधिक कदापि नहीं है। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जायेगी। इसके

अतिरिक्त ब्रिज कोर्स संचालित करने क लिए एक केयर टेकर दो अनुदेशक एक रसोइया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जाये। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति ही रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज–सज्जा आदि के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का कुछ अंश अवश्य प्राप्त किया जाये।

ग्राम शिक्षा समितियो की भूमिका :–

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं।

1– 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना।

2– कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

3– अनुदेशक का चयन करना।

4– केन्द्रों का समय निर्धारित कराना।

5– केन्द्रों की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।

6– अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।

7– अनुदेशकों की उपस्थित, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन, उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।

8– केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये

लगातार प्रोत्साहित करना।

9– नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कराना।

विकास खंड स्तरीय समिति की भूमिका :–

1– ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

2– ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।

3– कलस्टर रिसोर्स पर्सन्स (CRP) की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण की व्यवस्था कराना।

4– जनपद एवं विकास खंड स्तर पर उपलब्ध संदर्भ दाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :–

1–वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु संपूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खंड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा कराना।

2– केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर बैक टू स्कूल कैम्प के प्रस्तावों को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

3– कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

4– अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकरयिों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।

5– कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6– स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास

खंड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्दिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिज कोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेत समय सारिणी :–

जनपद प्रतापगढ़ में वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों एवं ब्रिजकोर्स तथा ग्रीष्मकालीन शिविरों को संचालित करने हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी है।

1– दिनांक 28–4–2002 तक वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

2– दिनांक : 15–4–2002 तक माइक्रोप्लानिंग का किया जाना।

3– दिनांक : 30–5–2002 तक माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र का चयन किया जाना जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन शिविर की नितान्त आवश्यकता होगी।

4– ग्राम स्तरीय/नगर स्तरीय प्रस्तावों को उक्त समितियों से विचार विमर्श कर उसे संपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक 15–6–2002 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना।

5– दिनांक 30–6–2002 तक जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर संपूर्ण जनपद के प्रस्तावों को तैयार कर भेजना जिसके साथ निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे।

राज्य सरकार द्वारा संचालित वैकल्पिक एवं नवाचार योजना के प्रस्ताव एवं स्वैच्छिक के प्रस्ताव एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रस्तावों को अलग–अलग संकलित कर पांच पांच प्रतियों में उपलब्ध कराया जाय।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/ब्रिज कोर्स/शिविर के प्रस्तावों के साथ माइक्रोप्लानिंग से संबंधित समस्त संलग्नक एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव तथा सहायक

बेसिक शिक्षा/अधिकारी विकास खंड स्तरीय अधिकारी/ नगर क्षेत्रीय शिक्षा अधि
ाकारी के प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किये जाये।

3– विकास खंड स्तरीय/नगर क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियां/जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार की संस्तुतियों को भी केन्द्रवार एवं कोर्सवार अलग अलग उपलब्ध करायी जाय।

4–संकलित प्रस्तावों को भेजते समय पत्र में उल्लिखित समय–सारिणी का विशेष ध्यान रखा जाय।

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार :–

हम जानते हैं कि शासकीय मानक के अनुसार प्रत्येक 1.5 कि0मी0 पर एवं 300 आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 लागू होने से पूर्व कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मानक के अनुसार 78 बस्तियॉ ऐसी पायी गयी जिनसे 1.5 किमी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और उनकी आबादी 300 के ऊपर थी। अतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के अन्तर्गत 78 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया। जिन्हें 2000–2001 एवं 2001–2002 में अर्थात् प्रारंभ के दो वर्षों में ही पूरा कर लिया गया है। तथा 125 ऐसी बस्तियॉ पायी गयी जिनसे 1.5 किमी की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे लेकिन उनकी आबादी 300 से कम थी अतः मानक के अनुरुप होने के कारण वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सके अथवा उन बस्तियों से 1.5 किमी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तो थे लेकिन प्राकृतिक बाधाओं के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते थे। इन्हें भी प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चयनित नहीं किया गया। अतः इन 125 बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना के तहत विद्या केन्द्र खोले जाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में प्राविधान किया गया। इनके संचालन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों से प्रस्ताव मांगे जाने एवं केन्द्रों के लिए अनुषांगिक व्यय एवं नियुक्त आचार्यों के

लिए मानदेय की भी व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ मलिन बस्तियों, मुस्लिम बस्तियों, एवं बालश्रमिक बहुल बस्तियों का भी चिन्हांकन किया गया। जिनमें रहने वाली आबादी के बच्चे अपने परिवार की विशिष्ट आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। क्योंकि वे अपने घरेलू धन्धों में सहयोग करते थे। अथवा जातीय समीकरणों के कारण विद्यालय जाने में संकोच करते थे। ऐसी बस्तियों की संख्या भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में कराये गये सर्वेक्षण में 125 पायी गयी। इन चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्राविधान भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 में किया गया तथा दो वर्षों में इसका लक्ष्य पूर्ण करने का प्राविधान किया गया। इनके लिए अनुदेशकों का चयन, अनुषांगिक व्यय एवं मानदेय की भी व्यवस्था डी0पी0ई0 ।।0–3 में करने का प्राविधान किया गया।

विद्या केन्द्रों एवं शिक्षा केन्द्रों की स्वीकृति एवं संचालन की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :–

सारिणी 7.1

क्र.	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		कार्यरत सं.	
		विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	विद्या केन्द्र	शिक्षा केन्द्र	आचार्य	अनुदेशक
1	2000–2001	63	13	63	13	63	13
2	2001–2002	62	112	–	–	–	–
3	2002–2003	125	125	37	112	100	125
4	2003-2004	125	125	125	125	125	125

उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान निर्माण हेतु संकलित किये गये आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रूप से विकास खंडवार विद्या केन्द्र एवं शिक्षा केन्द्र भी संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

सारिणी 7.2
स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (03–04 की स्थिति)

क्र.	विकास क्षेत्र का नाम	6–8 वय वर्ग			9–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कालाकांकर	110	130	240	85	110	195
2.	बाबागंज	95	115	210	105	102	207
3.	कुण्डा	80	70	150	89	30	119
4.	बिहार	120	120	240	104	89	193
5.	सांगीपुर	150	90	240	110	104	214
6.	लालगंज	120	90	210	40	37	77
7.	रामपुर संग्रामगढ़	80	70	150	67	56	123
8.	लक्षमणपुर	90	30	120	54	82	136
9.	सण्डवा चंद्रिका	125	25	150	47	43	90
10.	सदर	90	30	120	69	62	131
11.	मान्धाता	150	60	210	94	60	154
12.	मंगरौरा	130	80	210	78	72	150
13.	पट्टी	125	55	180	80	69	149
14.	आसपुर देवसरा	125	55	180	79	58	137
15.	शिवगढ़	140	70	210	102	67	169
16.	गौरा	110	70	180	66	103	169
17.	बाबाबेलखरनाथ धाम	30	37	67	103-	154	257
18.	नगर क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	योग	1870	1197	3067	1372	1298	2670

स्रोत – कार्यालयीय अभिलेख

सर्वशिक्षा अभियान हेतु विद्या केन्द्रों तथा शिक्षा केन्द्रों, मकतबों के सुदृढ़ीकरण ब्रिज कोर्स एवं ज्ञानशाला की आवश्यकता –

सारणी सं. – 7.3

क्रमांक	विकास खंड	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		विद्याकेन्द्र	शिक्षा केन्द्र	मकतब	ब्रिज कोर्स	ज्ञान शाला	बैंक टू स्कूल कैम्प
1.	कालाकांकर	6	2	8	–	9	4
2.	बाबागंज	4	3	–	–	6	4
3.	कुण्डा	3	2	2	1	4	4
4.	बिहार	5	3	2	–	6	4
5.	सांगीपुर	4	4	8	–	9	4
6.	लालगंज	4	3	1	1	4	4
7.	लक्ष्मणपुर	3	2	1	–	2	4
8.	सण्डवा चन्द्रिका	2	2	1	–	5	4
9.	सदर	2	3	1	1	6	4
10.	मानधाता	–	4	7	–	4	4
11.	मंगरौरा	3	4	10	–	5	4
12.	पट्टी	4	3	1	1	6	4
13.	आसपुर देवसरा	3	3	–	–	2	5
14.	शिवगढ़	2	4	6	–	6	5
15.	गौरा	2	5	–	1	7	5
16.	रामपुर संग्रामगढ	3	3	2	–	6	5
17.	बाबाबेलखरनाथधाम	–	2	2	–	2	–
18.	नगर क्षेत्र	–	–	2	–	2	–
	योग	50	52	52	5	89	80

उपर्युक्त के अनुसार जनपद में 50 अतिरिक्त विद्या केन्द्रों एवं 104 अतिरिक्त शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 89 ज्ञान केन्द्रों और 80 बैक टू स्कूल कैंप की आवश्यकता होगी। जिसको सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान एवं बजट में शामिल किया गया है। उक्त का संचालन वर्ष 2003–04 में कराकर शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

सारणी सं. – 7.4

EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या									
		EGS			AIE प्राथमिक स्तर			AIE उच्च प्रा० स्तर			
		पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वीकृत	नये केन्द्र	योग	बैक टू स्कूल कैंप
1.	2002–03	125	–	125	125	0	125	–	–	–	–
2.	2003–04	125	–	125	125	–	125	–	34	34	178
3.	2004–05	125	50	175	125	104	229	34	55	89	–
4.	2005–06	175	–	175	229	0	229	89	–	89	–
5.	2006–07	175	–	175	229	–	229	89	–	89	–
6.	2007–08	175	–	175	229	–	229	89	–	89	–
7.	2008–09	175	–	175	229	–	229	89	–	89	–
8.	2009–10	175	–	175	229	–	229	89	–	89	–

अध्याय आठ

ठहराव एवं सम्वर्धन :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्रगति में अब तक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। कि बालक/बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है। कतिपय कारणें से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्वशिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें मुख्य प्रयास निम्नांकित है।

सारिणी :–

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग)

सारणी सं0 8.1

क्र0	विवरण	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1–	विद्यालय पुननिर्माण	0	3
2–	अतिरिक्त कक्षाकक्ष	1307	77
3–	पेयजल सुविधा	–	41
4–	शौचालय	78	–
5–	चहारदीवारी	–	–

सारिणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता–

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग {३+४}	४०:१ दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	१	२	३	४	५	६	७
१	२००३–०४	३१२६५४	५४९५	२०२०	७५१५	७८१६	३०१
२	२००४–०५	३२०७८३	५६४६	२१७०	७८१६	८०१८	२०२
३	२००५–०६	३२९१२३	५७४७	२२७१	८०१८	८२२८	२१०
४	२००६–०७	३३७६८०	५८५२	२३७६	८२२८	८४४२	२१४

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

आवश्यक शिक्षा मित्र

२००५-०६	२००६-२००७	२००७-०८	योग
२५२	१०५	१०७	४६४

सारिणी 8.3

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्ष	नवीन विद्यालयों के कक्षाकक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षाकक्ष	वर्षवार मांग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001–02	300153	7504	3253	–	3253	4251	–
2	2002–03	305406	7635	3253	–	3253	4382	–
3	2003–04	312654	7816	3253	112	3365	4451	–
4	2004–05	320784	8020	4451	–	4451	3569	436
5	2005–06	329124	8228	4451	–	4451	3777	436
6	2006–07	337681	8442	4451	–	4451	3991	435
7	2007–08	346460	8662	4451	–	4451	4211	--
8	2008–09	355468	8887	4451	–	4451	4436	–
9	2009–10	364710	9118	4451	–	4451	4667	–

सारिणी 8.4

उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता –

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1	2001–02	211	0	1055	749	306
2	2002–03	217	27	1220	1220	165
3	2003–04	244	63	1535	1535	315
4	2004–05	307	0	1535	1535	0
5	2005–06	307	0	1535	1535	0
6	2006–07	307	0	1535	1535	0
7	2007–8	307	0	1535	1535	0
8	2008–9	307	0	1535	1535	0
9	2009–10	307	0	1535	1535	0

सारिणी 8.5

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा–कक्षों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में कक्षा–कक्षों की आवश्यकता –

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 के दर से वांछित कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्ष कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	2001–02	211	0	844	712	132
2	2002–03	217	27	976	885	91
3	2003–04	244	63	1228	1151	77
4	2004–05	307	0	1228	1228	0
5	2005–06	307	0	1228	1228	0
6	2006–07	307	0	1228	1228	0
7	2007–8	307	0	1228	1228	0
8	2008–9	307	0	1228	1228	0
9	2009–10	307	0	1228	1228	0

विद्यालय की सुविधाएं

विद्यालय रखरखाव एवं विद्यालय विकास अनुदान :—

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000 का अनुदान दिया जायेगा एवं रुपये 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेजों 60 में भी दिया जायेगा।

सारणी सं0 8.6

वर्ष	विद्यालय की संख्या			विद्यालय विकास अनुदान रु. 2000	रखरखाव अनुदान रु. 5000
	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	योग		
2002—03	1535	217	1751	1751	1751
2003—04	1590	307	1897	1667	1667
2004—05	1590	307	1957	1842	1778
2005—06	1590	307	1957	2013	1953
2006—07	1590	307	1957	2013	1953
2007—08	1590	307	1957	2013	1953
2008—09	1590	307	1957	2013	1953
2009—10	1590	307	1957	2013	1953

विद्यालय विकास अनुदान एवं रखरखाव अनुदान की आवश्यकता

अतिरिक्त कक्षाकक्ष :—

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 3991 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 77 कक्षों की आवश्यकता है। इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्रा0 वि0 चार कक्षीय हो जायेगें कक्ष बनवाने हेतु 2002 से 2007 तक कुल 4068 अतिरिक्त कक्षाकक्ष के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी सं0 8.7

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में उच्च प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्षाकक्ष की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
1.	2002–03	211	844	712	132
2.	2003–04	307	1228	1151	77
3.	2004–05	–	–	–	–
4.	2005–06	–	–	–	–
5.	2006–07	–	–	–	–
6.	2007–08	–	–	–	–
7.	2008–09	–	–	–	–
8.	2009–10	–	–	–	–
		307	1228	1151	77

सारणी सं0 8.8

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता वर्षवार

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	वर्तमान कक्षा–कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्षा–कक्ष	योग	आवश्यक कक्षा–कक्ष	वर्ष वार मांग
1.	2002–03	1534	–	3068	–	3068	4382	–
2.	2003–04	1590	–	3180	–	3180	4451	–
3.	2004–05	–	–	–	–	–	3569	436
4.	2005–06	–	–	–	–	–	3777	436
5.	2006–07	–	–	–	–	–	3991	435
6.	2007–08	–	–	–	–	–	–	–
7.	2008–09	–	–	–	–	–	–	–
8.	2009–10	–	–	–	–	–	–	–

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणः–

स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निःशुल्क पाठ् पुस्तक वितरण की योजना है। जिसका वर्षवार लक्ष्य निम्नवत हैः–

सारणी सं. 8.9

6–14 वय वर्ग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण हेतु वर्षवार अनुसूचित जाति तथा कुल बालिकाएं।

वर्ष	6–11 वय वर्ग प्रा. स्तर परिषदीय		11–14 वय वर्ग उच्च प्रा. स्तर परिषदीय		योग
	कुल बालिका	अनु. बालक	कुल बालिका	अनु. बालक	
2002–03	-	-	68819	19206	88025
2003–04	-	-	100696	23921	124617
2004–05	-	-	103378	24583	127961
2005–06	226422	47034	108120	25684	133804
2006–07	236512	48167	114259	27142	141401
2007–08	-	-			
2008–09	-	-			
2009–10	-	-			

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की संभावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम् ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेगें। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10–10 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में संपूर्ण परियोजना अवधि में कुल 170 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/–रु0 व्यय किये जायेगें।

क्रमवार	2001–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
कम्प्युटर हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या	----	0	10	10	10	10	----	----	----

शौचालय :–

जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 78 ऐसे हैं जिनमें शौचालय उपलब्ध नहीं है। 2002–2003 एवं 2004 में क्रमशः 78 शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन :–

जनपद में 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है। जिनके भवनों के पुनः निर्माण कार्य हेतु 2003 से 2007 तक का पुर्ननिर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पेयजल व्यवस्था :–

जनपद में 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की सुविधा नहीं है। 2004–2005 में इन विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पुननिर्माण– प्राथमिक विद्यालय :–

जनपद में 10 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में है इनको पुनः निर्माण हेतु 2004–2005 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी सं0 8.10

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का वर्षवार प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष	विद्यालय पुर्ननिर्माण		पेयजल सुविधा		शौचालय		चहार दीवारी		अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	
	प्राथमिक विद्यालय	उ०प्रा० विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ०प्रा० विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ०प्रा० विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ०प्रा० विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उ०प्रा० विद्यालय
2002–03	–	3	–	41	78	20	–	–	–	–
2003–04	56	3	–	–	78	12	–	–	–	–
2004–05	–	–	–	–	–	–	–	–	436	77
2005–06	–	–	–	–	–	–	–	–	436	–
2006–07	–	–	–	–	–	–	–	–	435	–
2007–08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2008–09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2009–10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	56	3	–	41	78	32	–	–	3991	77

मरम्मत एवं विद्यालय रखरखाव :–

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों को रूपये 5000 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष विशेष अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में 422 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 47 उच्च प्राथनिक विद्यालयों में लघु मरम्मत की आवश्यकता है जिनकी मरम्मत हेतु रु0 20,000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 260 प्राथमिक विद्यालय 96 उच्च प्राथमिक विद्यालय बृहद् मरम्मत योग्य है उनकी मरम्मत हेतु रुपया 70,000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा बृहद् मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय का होगा।

सारणी सं0 8.11

विद्यालय भवन मरम्मत का वर्षवार प्रस्ताव निम्नवित है

वर्ष	वृहद मरम्मत			लघु मरम्मत		
	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०	योग	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०	योग
2002–03	20	16	36	20	20	40
2003–04	40	20	60	60	30	90
2004–05	50	–	50	70	10	80
2005–06	–	–	–	–	–	–
2006–07	–	–	–	–	–	–
2007–08	–	–	–	–	–	–
2008–09	–	–	–	–	–	–
2009–10	–	–	–	–	–	–
योग	110	36	146	150	160	310

चहारदीवारी :–

जनपद में 1165 प्राथमिक विद्यालय तथा 171 उच्च प्रा0 विद्यालय की चहारदीवारी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा

निर्धारित मानक लागत प्राप्त होने पर निर्माण कराया जायेगा किन्तु मानक लागत रूपये 40 हजार से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पो को अपनाया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में चहारदीवारी हेतु कोई व्यवस्था/प्रस्ताव नहीं है।

बालिका शिक्षा :–

सभी जन समुदाय के मिश्रित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष में आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाय। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव धर्म एवं जाति लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का समर्थन किया है। एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षानीति के पश्चात् आरंभ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने का प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसमें विशेष सहायक सेवाओं के समयबद्ध लक्ष्य का सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता की राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 1 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकड़े न केवल जोड़कर व सामाजिक समूहों पर

को भी दर्शाते है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश होने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा तीन उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश को बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 99–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत आंकों भी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 मे बालिकाओं को GER में 98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996–97 में 84.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का संपूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है 1999–2000 में बालकाओं के लिये यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 मे कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन शाला त्याग के कारण जटिल है इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षिकाओं का आभाव आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सामाजिक धारणाएं एवं अन्ध विश्वास। बालिकाओं के लिए मांग न होने उनके निम्नतम् नामांकन का मुख्य कारण है। स्कूल का वातावरण भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। अतिरिक्त कार्य होने पर उन्हें घर में रोक लिया जाता है जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

प्रयास एवं सुझाव :–

1– जागरूकता क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2– जेण्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।

3– महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने एवं जोर डालने वाली सामग्री विकसित करना।

4– शिक्षकों को कक्षा मे जेण्डर भेदभाव पर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण माण्ड्यूल विकसित करना।

5– ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

6– प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1– बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय के प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

2– महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन।

3– माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षा संघ का गठन।

4– ग्राम शिक्षा समितियो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

मीना कैम्पेन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया। यह यूनिसेफ द्वारा तैयार की गयी मीना नामक बालिका पर दर्शायी गई एक शिक्षाप्रद फिल्म है।

माँ – बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से मॉ–बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों का मुख्य उद्देश्य :–

1– बालिकाओं की शिक्षा के विषय मे जागरूकता बढ़ाना।

2– बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महत्व बताना।

3– शिक्षकों एवं अभिभवकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना।

4– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना।

5– बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

समानता के लिए शिक्षा :–

महिला संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। महिला समाख्या कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदाय जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किए गए है। जैसे–

बालकेन्द्र किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

संघ की महिलाओं द्वारा छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों आदि की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की गई, इसके पश्चात् बाल केन्द्रों एवं किशोरी केन्द्रों की संकल्पना की गई है।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है, यह किशोरियों का समूह जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय नहीं जा रही है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

बालिकाओं के ठहराव हेतु कुछ समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण।

माता शिक्षक संघ :–

ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं उन गांव की 15 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल :–

ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहां बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगें।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

बच्चो की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चों एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों के उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों को हरा पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। जो इस प्रकार होगा।

1– माह में 5 दिन से अधिक उपस्थित पर हरा निशान।

2– माह में 7–15 दिन की उपस्थिति पर पीला निशान।

3– माह में 6 दिन से कम उपस्थिति पर लाल निशान।

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा। यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर कक्षावार टॉग दिया जायेगा। तथा ग्राम स्तरीय समूह बैठकों पर चर्चा किया जायेगा तथा बच्चों को रिबन के बैज प्रदान किया जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत के अन्त में अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक मे छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभवकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह मे गांव के समस्त अभिभावको को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनक बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं।

कोहार्ट स्टडी :–

अधिकतम् शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिन्होने पिछले साल पांच साल में विद्यालय छोड़ा है ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर :–

ऐसे गांव जहॉ न्यूनतम् 40 बालिकाएं शाला त्याग के रूप में चिन्हित की जायेगी उन गांव में उन बालिकाओं के दस दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

सारणी सं0 8.12

ग्रीष्मकालीन शिविर

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	80	20
2003–04	80	20
2004–05	80	20
2005–06	80	20
2006–07	80	20
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–10	–	–

कलाजत्था अभियान :–

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कलाजत्था एक सशक्त माध्यम है बालिकायें बीच में विद्यालय छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव गांव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवो में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम् है।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालक/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपाश्कों परचर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

संवेदीकरण किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डेवलपमेंटल एप्रोच (एम0सी0डी0ए0) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड की 5 न्याय पंचायतों को, जो महिला साक्षारता दर में कम हों, बालिकाओं का ड्राप आउट अधिक हो, आदर्श न्याय पंचायतों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया हो। जिससे उन न्याय पंचायतों में बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके अन्तर्गत आच्छादित न्याय पंचायतों में –कला–जत्था का प्रदर्शन, एम.टी.ए./पी.टी.ए./डब्ल्यू.एम.जी. का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना–कैम्पेन, पी.आर.ए., तारांकन, ठहराव परिक्रमा आदि कार्यक्रम किये जायेंगे। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत अभी तक तीन विकास खण्डों को इस कार्य के लिए आच्छादित किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माडल क्लस्टर डेवलपमेन्टल एप्रोच हेतु विकास खण्डों का आच्छादन निम्नवत् होगा–

सारणी सं0 8.13

वर्ष	एम.सी.डी.ए. से आच्छादित विकास खण्ड			कार्यक्रम कला जत्था	मीना कैम्पेन शो	बाल मेला न्याय पंचायत स्तर	एम.टी.ए. पी.टी.ए. प्रशिक्षण	महिला प्रेरक दल प्रशिक्षण	ग्रा.शि.स. प्रशिक्षण त्रिदिवसीय
	पूर्व से आच्छादित	नवीन प्राविधान	कुल						
2002–03	3	2	5	–	50	25	–	25	–
2003–04	–	2	7	–	70	35	–	10	–
2004–05	–	2	9	315	90	45	3670	10	600
2005–06	–	2	11	495	110	55	3914	10	595
2006–07	–	2	13	585	130	65	4114	10	–
2007–08	–	2	15	675	150	75	4114	10	–
2008–09	–	2	17	765	170	85	4114	10	
2009–10	–	–	17	765	170	85	4114	–	–
योग	3	14	–	3600	940	470	24040	85	1195

शिशु शिक्षा केन्द्रों को खोलना :–

छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहने के कारण जो बालिकायें विद्याल नहीं जा पाती या विद्यालय में पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे उनका ठहरा सुनिश्चित नहीं हो पाता तथा कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने कारण विद्यालय छोड़ देती है। इन बालिकाओं को विद्यालयों में लाने के लि शिशु–शिक्षा केन्द्रों को खोला गया। यह केन्द्र आई0सी0डी0एस0 को आंगनबा कार्यकत्रियों के द्वारा विद्यालय समय के अनुसार विद्यालय मे चलाये जाते कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय का अतिरिक्त मानदेय डी0पी0ई0पी के द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक केन्द्र पर 5000 की शैक्षिक सामग्री हेतु जाती है। और प्रत्येक वर्ष 1500/– रुपये आकस्मिक व्यय हेतु।

प्रथम चरण में यह केन्द्र ऐसे विकास खंड में जहां की महिला साक्षरता कम थी। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 2000–2001 में विकास खंड कालाकांकर 25 केन्द्र तथा मंगरौरा में 25 केन्द्र कुल 50 केन्द्र खोले गये हैं।

द्वितीय चरण में 2001–2002 में विकास खंड गौरा में 30 एवं विकास ख लक्ष्मणपुर में 30 कुल 60 केन्द्र खोले जा रहे हैं। इस तरह कुल 110 के डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत खोले जा चुके हैं।

सारणी सं0 8.14

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नवीन ECEE केन्द्रों की आवश्यकता

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	क्रमागत योग
2002–03	110	0	110
2003–04	–	0	–
2004–05	–	0	–
2005–06	–	30	30
2006–07	–	45	45
2007–08	–	0	–
2008–09	–	0	–
2009–10	–	0	–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयंयेवी संगठनों की सहभागिता :–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिन विकास खंडों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है उन विकास खंडों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (ECCE) खोले जायेगें।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :–

शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक पारम्परिक एवं गैर पारंपरिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान शिक्षा में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं को नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जारूक हो जायेगें। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कलाचित्रण, के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शासन स्तर से लागू किये गये कार्यक्रमों में वांछित लक्ष्यो की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें उन लोगों की सहभागिता नहीं थी जिनके हितों के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये थे। वैसे तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लागू होने से पहले की जिला बेसिक शिक्षा समिति/नगर बेसिक शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा था किन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 से आच्छादित होने के

उपरान्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की संकल्पना की गयी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ के दो वर्षो में कराने का लक्ष्य रखा गया तथा प्रथम वर्ष में 1105 ग्राम शिक्षा समितियों में से 500 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तथा 605 ग्राम शिक्षा समितियो को वर्ष 2001–2002 में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1105 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 90 वार्ड शिक्षा समितियों के द्विदिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी –

(क) नामांकन में सहयोग :–

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिका जिनमे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा विकलांग बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देते हुए शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें समुदाय के द्वारा परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आंकडों के आधार पर माइक्रोप्लानिंग तथा ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते हुए निकटतम् प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बालकों का शत–प्रतिशत प्रवेश दिलाने में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के द्वारा वातावरण निर्माण में भी समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है।

(ख) ठहराव :–

समुदाय के लोगों में से PTA/MTA/WMG का गठन करके स्कूल छोड़ने वाले बालक/बालिकाओं को पुनः विद्यालय वापस लाकर शत प्रतिशत ठहराव का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हो रही है।

(ग) गुणवत्ता :–

अध्यापकों को प्रेरित करने का कार्य भी समुदाय के लोग कर सकते है। जहां

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अनि **आवश्यक है।** **पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तर **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्ष **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियां **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हे **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

भूमिका होती है। इसी प्रकार से स्वयंसेवी लोगों के द्वारा भी शिक्षकों की कमी को समुदाय पूरा कर सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों की स्थिति को अच्छी बनाने, बागवानी, साजसज्जा, रखरखाव, निर्माण कार्य, सुदृढ़ीकरण, सुन्दरीकरण में भी समय–समय पर समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिकोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताओं में समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर विद्यालयों के प्रति उनके मन में विश्वास का भाव पैदा किया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संगठनों का वातवरण निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र संचालन, विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने आदि में सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य समुदाय की सहभागिता के बिना प्राप्त करना असंभव है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा) :–

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन सभी जो कि 5–10 प्रतिशत बच्चों को जो दृष्टि सम्बन्धी एवं मानसिक सम्बन्धी अक्षमताओं से ग्रस्त है, विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहॉ व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, विभिन्न अक्षमताओं में सब से अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों

की संख्या कम है। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चे के (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशे शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इ अक्षम बच्चो को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकत है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलांग बच्चो को बिन बुलाई आपदा अथवा अभिशा समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस प्रयास से आज सोच एवं व्यवहा में परिवर्तन आ गया है। आज विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पा है। और दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मानसिक रूप स अधिक जागरूक व क्रियाशील होते हैं।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्रकार के माइल्ड एवं माडरेट (कम और मध्यम श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है प्राथमिक शिक्षा की मुख्य ाारा में सामान्य बच्चों के साथ लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चो की तरह हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता क लेकर सम्बोधन में, व्यवहार में, चाल में, कक्षा में, मैदान में, एवं घर में कोई लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हो।

अक्षम बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र ही नहीं हैं इन्हे उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

ऐसे बच्चे जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमे निहित क्षमता का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जमाने और आत्मनिर्भरता बनाने मे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, अतः ये समेकित शिक्षा अर्न्तगत ही ये प्रयास संभव है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। मुख्यतः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सामान्य

प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांग/अक्षमता के प्रकार :–

सामान्य रूप से अध्यापकों को अध्यापन के समय जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना पड़ता है। वे निम्न प्रकार के है मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है:–

(1) दृष्टि विकलांगता

(2) श्रवण एवं वाणी विकलांगता

(3) अस्थि विकार विकलांगता

(4) मानसिक मन्दता

(5) अधिगम मन्दता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलागतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है। तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है।

(1) अधिगम समस्याओं से सम्बन्धी कारण :– निम्नवत् है।

1– बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति।

2– दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई)

3– श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बोलने में कठिनाई)

4– हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मांस पेशियों के तालमेल में समस्या होने से क्रियाकलापो में कठिनाई।

5– मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्यायें।

घर परिवार सम्बन्धी कारण :– निम्नलिखित है।

1– माता पिता के स्नेह मे कमीं।

2– बच्चों की हीन भावना से देखना।

3– सीखने के समान अवसर न मिलना।

4– शिशु स्तर पर लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।

5– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विद्यालीय वातावरण से समबन्धित कारण :– निम्नलिखित हैं।

1– शिक्षक का बच्चे से लगाव होना।

2–सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा बना लेना।

3– कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना।

4– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

5– उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्र
उदासीनता का होना।

6– बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य
अभाव होना।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रव
की जरूरतों को समझने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनु
अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर सके इसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक कक्षा
अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा संपर्क होता है, तथा उन्
बच्चों के ध्यान से देखने का अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के
यापको को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :–

(1) बच्चों में

(2) परिवार में

(3) समाज में

1– आत्मनिर्भरता में कमी।

2– चलने में परेशानी।

3– समाज में उपेक्षित।

परिवार में :–

1– अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

2– आर्थिक बोझ अधिक।

समाज में :–

1– ध्यान देने की आवश्यकता।

2– उत्पादन में कमी।

3– समाज में एकीकरण में कमी।

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां है, बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गंभीर रूप धारण का चुका है।

1– संवेदीकरण :–

अक्षम बच्चों के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1– समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।

2– परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्ग दर्शन)

3– अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्द दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं इन्हें सहानुभूति की नहीं, सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें निहित इनकी अक्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2– उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टर कीटीम जिसमें एक आथोपेडिक, एक ई0एन0टी0 डाक्टर, एवं आई स्पेशिलिस्ट हो के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इसलिये निम्न संस्थाओं से संपर्क किया जाता है–

1– राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून।

2– अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा–बम्बई।

3– एलिम्को जी0टी0रोड, कानपुर 206016।

4– अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर, कर्कडूमा विकास मार्ग, दिल्ली।

5– भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।

6– राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।

7– नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रा एल0पी0 बाला काम्पलेक्स बम्बई।

8– मंगलम् ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9– यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

10– जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, इलाहाबाद।

3– अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का केन्द्र वि विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के स

शिक्षा देने की विधापर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रति विकास खंड 4–4 मास्टर टेनर्स का चयन किया गया है और इन मास्टर टेनर्स का 10 दिवसीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13, लूकरगंज इलाहाबाद में व मूक बधिर विद्यालय जार्ज टाउन में आयोजित किया गया है।

4– शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पॉच विकलांगताओं– दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फोल्डर्स तैयार किये गये हैं। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा–3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को भी शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :–

1– विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।

2– विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

3– इन बच्चो के सभी समूहों के लिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।

4– कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन।

5– इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।

6– विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओ की भागीदारी ली जाती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रातायें रखती हो।

1– संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।

2– संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता हो।

3– विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4–संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :–

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरू है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाकर इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आ सम्मान की भावना का विकास करना है।

1– कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के सा शिक्षा प्रदान करना।

2– 6–11 वय वर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रद करना।

3– स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास समाजीकरण की भावना का विकास हो।

4– समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्र करना।

5– कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

6– जनसमुदाय को जागृत करना।

7– स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामू

उत्तरदायित्व हेतु बोध का प्रयास करना।

8– प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चितीकरण करना।

9– मास्टर ट्रेनर की पहचान एवं उन्हे प्रशिक्षण दिलाना।

10–प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण करानां

11– प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना।

12– रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना।

13– समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षमताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

14– स्वास्थ्य सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।

15– जीवन के रहन–सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना।

16– उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्राविधान :–

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्राविधान उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

1– समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)।

2– समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठ्यक्रम मे कुछ आवश्यक परिवर्तन)।

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्याप विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3– समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमे से अधिकतर बच्चों द सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है।

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :–

1– सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चो की पहचान एकदम प्रारंभ में कर उपयुक्त है।

2– इन बच्चों को निरंतर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणो उपयोग सुझाना।

3– बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने लिये मानसिक रूप से तैयार करना।

4– संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना

5– समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवा में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।

6– विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदा सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के लिये सबको समान अवसर मिल स

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण का विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकरात्मक व्यवहार है। इस अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवर्तन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है। जिस कि इन बच्चो की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिस कि इन्हें भी समाज का अंग माना जाये।

सारणी संख्या – 8.15
इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (कक्षा वार)
2003–2004

क्र	ब्लाक का नाम	आच्छादित स्कूल	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5		योग		
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	मंगरौरा	105	13	14	23	16	31	6	17	13	24	16	108	65	173
2	सदर	७७	7	6	14	१७	8	2	5	1	७	3	42	22	64
3	मान्धाता	122	13	9	10	13	16	18	8	11	8	5	55	56	111
4	गौरा	98	9	4	15	7	10	10	17	8	23	6	74	35	109
5	कुण्डा	91	1	0	25	15	36	13	21	15	31	27	114	70	184
6	रामपुर संग्रामगढ़	74	2	2	10	6	7	5	9	1	11	3	39	17	56
7	सण्डवा चन्द्रिका	103	8	6	7	4	7	3	13	2	7	5	42	20	62
8	सांगीपुर	87	13	3	17	4	13	11	9	10	6	7	58	35	93
9	बाबागंज	91	6	4	16	6	16	6	8	5	10	6	56	27	83
10	बिहार	10C	24	13	21	20	21	22	24	16	13	7	103	78	181
11	शिवगढ़	103	21	18	21	19	31	13	20	18	16	8	109	76	185
12	कालांकर	72	17	7	22	12	21	18	15	16	16	16	51	69	160
13	नगर क्षेत्र	26	1	3	2	1	2	2	1	1	0	2	6	9	15
	योग	1171	135	89	203	133	219	129	167	117	173	111	897	579	1476

सारणी संख्या – 8.16
इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (विकलांगता वार)
2003–2004

क्र	ब्लाक का नाम	आच्छादित स्कूल	VI		HI		OH		MR		LD		योग		
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	मंगरौरा	105	9	12	17	7	75	43	7	3	0	0	108	65	173
2	सदर	99	3	3	12	7	22	12	5	0	0	0	42	22	64
3	मान्धाता	122	13	10	11	4	26	38	5	3	0	1	55	56	111
4	गौरा	98	12	6	12	3	40	22	10	3	0	1	74	35	109
5	कुण्डा	91	23	11	9	16	73	41	8	1	1	1	114	70	184
6	रामपुर संग्रामगढ़	74	5	0	6	4	25	12	3	1	0	0	39	17	56
7	सण्डवा चन्द्रिका	103	5	1	9	7	28	10	0	2	0	0	42	20	62
8	सांगीपुर	87	16	12	10	8	10	7	12	8	10	0	58	35	93
9	बाबागंज	91	12	5	5	4	26	14	11	4	2	0	56	27	83
10	बिहार	100	15	13	12	6	11	2	13	7	52	50	103	78	181
11	शिवगढ़	103	9	13	17	11	70	45	13	7	0	0	109	76	185
12	कालांकर	72	10	13	7	8	68	45	6	3	0	0	91	69	160
13	नगर क्षेत्र	26	0	3	0	0	6	6	0	0	0	0	6	9	15
	योग	1171	132	102	127	85	480	297	93	42	65	53	806	579	1476

सारणी संख्या – 8.17
विद्यालय में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना
2003–2004

क्र	विकलांगता के प्रकार	कक्षा–1		कक्षा–2		कक्षा–3		कक्षा–4		कक्षा–5		कुल			ड्राप आउट		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	शारीरिक विकलांग	52	27	52	31	67	24	45	26	56	26	272	135	407	27	19	46
2	मानसिक विकलांग	4	4	9	6	12	7	15	4	8	3	48	24	72	11	2	13
3	दृष्टि विकलांग	9	4	12	8	6	4	3	2	8	13	38	31	69	8	6	14
4	श्रवण विकलांग	12	13	19	13	17	19	10	9	15	10	73	64	137	16	6	22
5	अधिगम अक्षमता/अन्य	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	2	4	6	11	4	15
	कुल	77	50	94	59	102	55	73	42	87	52	435	262	691	73	37	110

क्र	विकलांगता के प्रकार	कक्षा–6		कक्षा–7		कक्षा–8		कुल			ड्राप आउट		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	शारीरिक विकलांग	28	14	18	10	12	6	58	30	88	14	12	26
2	मानसिक विकलांग	4	4	0	0	0	0	4	4	8	6	3	9
3	दृष्टि विकलांग	10	4	4	3	3	2	17	9	26	4	0	4
4	श्रवण विकलांग	7	7	6	4	3	3	16	14	30	6	4	10
5	अधिगम अक्षमता/अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
	कुल	49	29	28	17	18	11	95	57	152	34	21	55

जनपद प्रतापगढ़ में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :—

जनपद प्रतापगढ़ में प्राथमिक/जूनियर में लगभग 6000 विकलांग बच्चों में सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों की संख्या सबसे कम है। इन बच्चों में अधिकांश बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अब तक 2167 बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ में समेकित शिक्षा कार्यक्रम दो चयनित विकास खंडों में आसपुर देवसरा व पट्टी में चलाया जा रहा है। जिसमें कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये हैं।

(1) मेडिकल एसेज्मेन्ट कैंप :—

चार विकास खंडों में 6 से 14 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों का मेडिकल असेज्मेन्ट कराया गया हो। तथा विकलागता प्रमाण पत्र भी मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा विशेष किये गये है यह शिविर न्याय पंचायत स्तर में लगाये जाते है और मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार डाक्टर की टीम जिसमें अस्थि विशेषज्ञ नाक, कान, गला, विशेषज्ञ ई0एन0टी0 विशेषज्ञ नेत्र विशेष तथा सी0एम0ओ/डिप्टी सी0एम0ओ0 जाते है, परीक्षण उपरान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जाये। उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जाना चाहिए साथ ही उपयुक्त बच्चे को विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। डी0 पी.ई.पी. के अन्तर्गत कुल 14 एसेसमेन्ट कैम्प आयोजित किये जा चुके हैं।

(1) विकास खंड आसपुर देवसरा में मेडिकल असेस्मेंण्ट किये जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् है–

दृष्टि		श्रवण		आस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
26	21	32	24	133	84	17	8	208	137	345

विकास खंड पट्टी में मेडिकल असेस्मेन्ट किये गये बच्चों की संख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
15	9	25	18	116	87	10	9	166	123	289

विकास खंड आसपुर देवसरा एवं पट्टी में वितरित किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर वितरण मंगलम संस्था द्वारा

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये उपकरण	पट्टी	आसपुर देवसरा	योग
1–	ट्राइसाइकिल	5	10	15
2–	व्हील चेयर	11	14	25
3–	नेत्रहीन छड़ी	0	0	0
4–	श्रवण यन्त्र	21	24	45
5–	ब्रेल स्लेट	0	0	0
6–	विशेष जूते	25	3	28
7–	बैसाखी (ब्रचेज)	11	24	35
	योग	73	75	148

(1) विकास खंड लालगंज में मेडिकल असेस्मिेण्ट किये जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् है–

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
10	9	18	5	50	40	9	8	87	62	149

विकास खंड लक्ष्मणपुर में मेडिकल असेस्मेन्ट किये गये बच्चों की संख्या निम्नवत् है।

दृष्टि		श्रवण		अस्थि		मानसिक		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
11	9	9	7	53	44	11	5	84	65	149

विकास खंड आसपुर देवसरा एवं पट्टी में वितरित किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर वितरण जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, इलाहाबाद

क्र0सं0	उपलब्ध कराये गये उपकरण	लालगंज	लक्ष्मणपुर	योग
1–	ट्राइसाइकिल	4	7	11
2–	व्हील चेयर	10	8	18
3–	नेत्रहीन छड़ी	0	0	0
4–	श्रवण यन्त्र	10	2	12
5–	ब्रेल स्लेट	0	0	0
6–	कैलीपर्स	15	8	23
7–	बैसाखी (ब्रचेज)	8	11	19
	योग	58	37	95

चार विकास खण्डों में कुल 243 बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराये गये है।

(2) वातावरण सृजन कार्यशाला :–

चारों विकास खंडों में एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर वातावरण सृजन जनजागरण कार्यशाला की गई जिसमे अभिभावक (अक्षम बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों बी0आर0सी0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 ने प्रतिभाग किया इसमे अभिभावक का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज शिक्षक समुदाय, घर परिवार तथा इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायक हो सकते है, आदि पर विशेष चर्चा की गई कार्यशाला की अवधि 10 बजे प्रातः से 5 बजे तक थी। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कुल 6 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको का प्रशिक्षण :–

दोनो विकास खंडो में समस्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जायेगा। जिसमें आसपुर देवसरा के 300 तथा पट्टी के 28[illegible] लालगंज के 192, लक्ष्मणपुर के 256 शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(4) मास्टर ट्रेनर फाउन्डेशन कोर्स :–

जनपद प्रतापगढ़ के दो विकास खंड के 10 मास्टर ट्रेनर व 5 फाउन्डेशन कोर्स प्राप्त प्रशिक्षको की टीम तैयार की जा चुकी है।

(5) स्वास्थ्य प्रशिक्षण :–

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद मे सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आरंभ किया गया है। इस वर्ष कार्ड के स्थान पर रजिस्टर मे कालम बनाकर प्रविष्टियां भरी जा रही है। वर्ष 2001–02 मे 224004 तथा 2002–2003 में 184526 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

(6). अभिभावक गोष्ठियाँ :–

चारों विकास खंडों के गांव मे जाकर के विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियों आयोजित की जानी है, समेकित शिक्षा की जानकारी दी जाती है। जन समुदाय व अभिभावकों को मार्गदर्शन के बिन्दु पर चर्चा की जाती है। जनजागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। चारों विकास खण्डों में 10 गोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।

जाना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों को सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इसलिये अक्षमताग्रस्त बच्चों को भी समेकित शिक्षा की मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये कुछ विशेष कार्ययोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि डी0पी0ई0पी0 के अल्प समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चें समाज मे अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते इसलिये सरकार व स्वयंसेवी संस्थाये इन अक्षमताग्रस्त बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित शिक्षा की नई विचारधारा को लागू कर रही है और इसके परिणाम समाज में दिन प्रतिदिन अच्छे रहे हैं क्योकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नहीं होते है समुदाय जागृत नहीं होता है वहां राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है। यह बच्चे जो कि अभी काफी संख्या में विद्यालय से बाहर है शिक्षा से वंचित हैं उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों की रूढ़िवादिता का अन्त कर जन समुदाय कों जागृत कर बच्चों में आत्म विश्वास जगाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने में समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है। क्योंकि वे सुविधा सम्पन्न नहीं है और उनकी परिस्थितियों भी आसान नहीं है इसलिये समेकित शिक्षा के द्वारा समाज के अक्षमताग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्य योजना निम्नवत है।

(1) जनपद के सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों का मेडिकल असेस्मेंट।

(2) असेज्मेन्ट उपरान्त सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन।

(3) मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक 4 प्रतिभागी।

(4) फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक 2 प्रतिभागी।

(5) प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण।

(6) साहित्य वितरण पूरे जनपद में।

(7) समेकित शिक्षा मे एन0जी0ओ0 का पूर्ण सहयोग।

(8) प्रत्येक ब्लाक में समेकित शिक्षा पर तीन दिवसीय विशेष शिविर।

(9) पूरे जनपद में विकलांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग।

(10) वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर।

(11) अभिभावक गोष्ठी न्याय पंचायत स्तर पर।

(12) खेलकूद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर।

(13) जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर।

(14) अभिभावक शिक्षक बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर।

(15) समस्त विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शारीरिक असुविधा को ध्यान मे रखते हुए रैम्प विशेष कुर्सी नीचे श्यामपट, नीचे स्विच बोर्ड इत्यादि।

(16) जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड रजिस्टर बनवाये जाने चाहिए।

(17) विद्यालय में विकलांग बच्चों के ठहराव हेतु विकलांग छात्रवृत्ति उपकरण/उपस्कर वितरण व समय–समय पर पॉच दिवसीय शिविरों का आयोजन।

(19) विकलांग दिवस का समारोह प्रतिवर्ष न्याय पंचायत स्तर पर आयोजन।

(20) जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।

(21) ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चो को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय को भी जागृत किया जा सकेगा, इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेगें यह तभी संभव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा में इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्याय– 9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाएं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान की संकल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हु जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे उनके खान–पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों का ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अथवा बहुत कम था। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनको घर–गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ–साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ–साथ बालिकाओं को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। आज विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नहीं है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक–बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे है। साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था, वहां अ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। आज बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे है। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रूचि ले रहे है। इसका परिणाम यह हो रहा हैं। कि ज्ञान क्षेत्र में भी पी नहीं है। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे है। य सब जनपद स्तर पर डायट के निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग द

प्रतिफल है। डायट से लेकर एन.पी.आर.सी. स्तर तक सभी योजना को सफल बनाने में अपने योगदान दें रहे है तथा शासन की नीति को समाज के सभी दबे–कुचले लोगों तक ले जाने में प्रयासरत है। डायट के बहु आयामी कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को निरतंर प्रगति की ओर ले जा रहे है।

डी.पी.ई.पी. (III) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप :–

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1– सेवारत प्रशिक्षण–		4095
2– बी.आर.सी. प्रशिक्षण–		16
3– एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण–		171
4– शिक्षा मित्र (डी.पी.ई.पी./बेसिक)–	पुर्न बोधात्मक	204
5– आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण–		205
6– समेकित शिक्षा प्रशिक्षण–		350 (८ ब्लाक)
7– आंगनबाड़ी प्रशिक्षण–		110 (कार्यकर्त्री)
8– सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण–		
9– श्रेणीकरण		
10– लिंग संबेदीकरण		

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली में प्रशिक्षित किया गया। जनपद प्रतापगढ़ 18 विकास खण्डों तथा 17 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो उनके कार्यों उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों/ सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथाः—

1— उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, संवर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

2— मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं की भी परिधि में लाया जाना।

3– अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों / इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा– 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों {राजकीय, परिषदीय, अशासकीय} माध्यमिक विद्यालयों {अशासकीय / राजकीय} के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतर सण्ड प्रतापगढ़, विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद प्रतापगढ़ में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 23 किमी0 दूर चिलविला नदाफरपुर शिवगढ़ सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित है इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

1– जिला संसाधन इकाई विभाग।

2– सेवा पूर्व विभाग।

3– सेवारत विभाग।

4– पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

5– कार्यानुभव विभाग।

6– शैक्षिक तकनीकी विभाग।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1– जिला संसाधन ईकाई विभाग–

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है। ऐ बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा व व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों क अवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है–

1– अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

3– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों का प्रशिक्षण देना।

4– कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

5– कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।

6– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपरकणों का निर्माण करना।

7– कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन ईकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006–2007 तक स्वयं सेवकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2– सेवापूर्ण विभाग :–

सेवापर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी

आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण का प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित हैं।

3– सेवारत विभाग :–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों की समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा, अग्रेंजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभाग:–

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिक के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परसिर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को आउट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यपक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑबले की खेती एवं फल सरंक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्ष अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभागः–

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों की आमांत्रि कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरी व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षि उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संबर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-0
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक समाग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र, छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों शैक्षिक उपकर एवं अल्प दा की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभागः–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय की आयु, उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों

विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत् रूप से होगा।	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभागः–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण ईकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत् जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 त उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

नोट– S.I.E/S.C.E.R.T./S.I.E.M.T/S.P.O. द्वारा निष्दिष्ट/निर्धारित कार्यक्रमों क सभी विभागों में समायोजित करेगें।

गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिकाः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थाप की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थाप किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमि विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायत्वि निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिकाः–

1 ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइ

के समाधान के लिये किया जाता है।

2– डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।

3– विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4– ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।

5– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन. पी. आर. सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6– ई. एम. आई. एस. आंकड़ों का संकलन कार्य।

7– ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तद्नुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8– एन. पी. आर. सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9– एन. पी. आर. सी. के फीड बैक ओर इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।

10– संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमि तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र विन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कू भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत के समन्वयको का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य कि जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासि बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई. एम.आई. एस. ऑकड़ों का सकल कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योज का विकास।
4. बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं त आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रो को वॉछित सहयोग प्रद करना।
6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उस रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।
7. अध्यापाकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षे से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी

पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम {प्राथमिक स्तर पर }

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम { डी.पी.ई.पी.} से आच्छादित जनपद प्रतापगढ़ कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया। तथा उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट रायबरेली में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवश्यक अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो कि समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित

माड्यूल 'साधन' का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाई संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिवि आधारित शिक्षण करना।
7. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकत लाने का प्रयास।
8. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।
9. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।
10. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत कर पर बल देना।
11. गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कर
12. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण क कार्य।
13. बहु उद्देशीय शिक्षण अधिगम सामाग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं

सम्भावनाये।

14. शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।
15. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।
16. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।
17. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र 'साधन' की अद्यतन स्थिति

कुल शिक्षक संख्या – 4307

(शिक्षा मित्रों सहित)

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या – 4051

अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या– 256

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में बृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिबद्धि के लिए गणि विषयाधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 56 अध्यापक लाभान्वित हुए। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/ अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कोशल में अभिबृद्धि के लिए आयोजित किये जा

रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भाँति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि ओर शिक्षण कौशल मे अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन. पी. आर. सी. समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्यायें जिनका निदान नही हो पाता, एन. पी.आर. सी. समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समवयक की मासिक बैठक रखी जाती है। एन. पी. आर. सी./ बी. आर. सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्यायें तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी. आर. सी. समन्वयकों की मासिक बैठक किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट संकाय सदस्यों निरीक्षक वर्ग बी. आर. सी, एन पी. आर. सी. समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभावः—

जनपद प्रतापगढ़ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 'साधन' माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी. आर. सी./ एन. पी. आर. सी. समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरणः—

जनपद प्रतापगढ़ में एन. पी. आर. सी. समन्वयकों के 171 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 84 में समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/ 15—5—01— 346 / 2001 दिनांक 11—7—2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति	
1494	1135	ए —	109
		बी —	377
		सी.—	514
		डी. —	135

बेस लाइन सर्वे वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या – 9.1

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2	भाषा	18.1	25.5	33.5	22.0	22.9	35.6
2	2	गणित	18.6	28.9	26.9	21.1	24.1	37.7
3	5	भाषा	46	4.9	35.5	38.6	4.0	48.1
4	5	गणित	17.8	0.4	71.1	16.7	0.8	76.5

स्रोत : बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थितिः—

DPEP-III लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा—2 भाषा में 33.5% बालक तथा 22.0% बालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके। तथा कक्षा—2 गणित में 26.9% बालक तथा 37.7% बालिकाएं एम0एल0एल0 को प्राप्त नहीं किये है। कक्षा 5 के भाषा में 35.5% बालक एवं 48.1% बालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। कक्षा—5 गणित में 71.1% बालक एवं 76.5% बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सकी।

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं :—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है जनपद मे 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001—2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा—1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य—पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए हैं जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ—साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ

नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक/बालिकाओं को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाईन स्टडी के माध्यम से किया गया था। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा मिडटर्म स्टडी से पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकरात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या – 9.2

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2	भाषा	14.6	42.6	14.8	20.2	34.8	19.4
2	2	गणित	13.29	53.80	14.56	16.56	41.94	17.20
3	5	भाषा	41.0	14	21.1	44.2	10.3	25.7
4	5	गणित	29.6	10.3	41.7	30.0	9.1	48.1

स्रोत : मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे रिपोर्ट

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :–

डी0पी0ई0पी0–III लागू होने के ढाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा–2 भाषा में 14.8% बालक तथा 19.4% बालिकाएं ए कक्षा–2 गणित में 14.56% बालक एवं 17.20% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर क प्राप्त नहीं कर सके है। तथा कक्षा–5 भाषा में 21.1% बालक एवं 25.7% बालिका तथा कक्षा–5 गणित में 41.7% बालक एवं 48.1% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्त की प्राप्त नही कर सके हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा–2 व 5 के छात्रों की भाषा ए गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुई है।

1– कक्षा–2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 69.46% एवं 7 01% है।

2– कक्षा–5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 55.26% एवं 74.37 हैं।

3– कक्षा–2 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 71.8% एवं 67.12 है।

4– कक्षा–2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 75.68% ए 70.59% है।

5– कक्षा–5 भाष में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 57.10% ए 53.52% है।

6– कक्षा–5 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 49.21% एवं 43 63% है।

7– कक्षा–2 भाष एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्ष मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

8– कक्षा–5 भाषा एवं गणित दोनों विषयो में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्ष

8– कक्षा–5 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् हैं :–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चो का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चो द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

6– बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7– सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

8– शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चलरही है वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया
आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S- Systematic

A- Approach

T- Training

I- Identification (पहचान)

N- Need (आवश्यकता)

D- Desigining & Planning (डिजाइनिंग एवं योजना)

I- Implemintation (क्रियान्वयन)

A- Assessment (मूल्यांकन)

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभिया
अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनप
एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खंड स
न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभा
अभिकर्मियो डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिक
न्याय पंचायत/विकास खंड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मु
सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें ब
के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति
उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमति
की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यश
का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्ष

आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत् प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डीपीईपी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहुत कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1– विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण

3– मैटेरियल मेले का आयोजन।

4– विकास खंड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्य
2002–03	–	749	80/–	59920.00
2003–04	210	2042		180160.00
2004–05	6269	1199		597440.00
2005–06		1199		95920.00
2006–07		1199		95920.00

2– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम का प्रशिक्षण :–

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुनानित
2002–03	–	749	500/–	374500.00
2003–04	210	2042		1126000.0
2004–05	6269	1199		3734000.0
2005–06		1199		599500.0
2006–07		1199		599500.0

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लि प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन के स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीक

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का अभिलेखीकरण ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्यकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिये रूपये 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रुपया 60,00,000.00 (रुपया साठ लाख) अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों कीआवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक एक माह के अंतराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

(1) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

(2) वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्धि तीन-दिवसीय-प्रशिक्षण-न्याय-पंचायत-संसाधन-केन्द्र-स्तर-पर-आयोजित-किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रुपये 60,00,000.00 (साठ लाख रुपया) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान,

अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रु0 80.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन कीदर से रुपये 60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 80.00 रुपये की दर से 60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शाला / सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकंलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकंलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
ण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अग्रेंजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
पर प्राइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	अग्रेंजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांक	हिन्दी, एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण,
मता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्वधन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्वधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सर्म्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0, ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आकलन पर)	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	वी0आर0पी0 / एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी. एल.एम प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण :–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।

2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।

3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।

4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।

7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

8– शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।

9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण :–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग समबन्धी शिक्षा प्रदान करेगें।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :–

कक्षा में बालिकाओ के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्ष हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमे इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओ द्व किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जाये ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित क सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में प

वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षणः जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रो के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :–

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सपोर्टएवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयको की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादिमक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट

में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के समन्वयको की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :–

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पॉच दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किये गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्ग स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकत मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्र का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :–

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसी प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समि के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपर ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि वूमेन्स मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग–

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रख कर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति / जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ– साथ विद्यालय विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह {बी. आर. जी.} तथा जिला संसाधन समूह { डी. आर. जी.} का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा

समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिल शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था अतरसण्ड प्रतापगढ़ के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह बी. आर. जी.} के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कि गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संस ान समूह {बी. आर. जी.} के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भव निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद व कूल 1105 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 70 ग्राम शि समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्ष वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रे प्रशिक्षण िशविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकर

2– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

3– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास

4– समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।

5– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्र शिक्षा योजना निर्माण।

6– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग ब की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास} के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोज स्कूल न आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लि सूक्ष्म नियोजन {माइक्रो प्लानिंग} तथा स्कूल मानचित्रण {स्कूल मैपिंग} का व

किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं उहराव में आशातीत वृद्धि हुई हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई – बहन एवं माता–पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :–

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर

प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्याल की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं ए अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान कियागया। जिसक विवरण निम्नवत् है :–

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : – 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या : – 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
पल्स पोलियों चुनाव	30 दिन	30 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणना		
ए0बी0एस0ए0 की बैठक		
खेलकूद की रैली		
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी		
समुदाय से संपर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ में उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन x समय	वादन x समय
भाषा 1 हिन्दी	10 X 40	3 X 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 X 40	3 X 40
भाषा 3 सं.कृत	3 X 40	3 X 40
विज्ञान	6 X 40	3 X 40
गणित	10 X 40	3 X 40
सामाजिक विषय	5 X 40	3 X 40
बेसिक क्राफ्ट / कला	5 X 40	3 X 40
शारीरिक शिक्षा	3 X 40	3 X 40
कृषि	———	2 X 40

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
1–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	.....
2–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	.....
3–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावणीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
4–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
5–	हिन्दी	गणित	विज्ञान	विज्ञान		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ अवकाश	मध्य	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
6	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
7–	हिन्दी	गणित	सा0 विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
8–	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा0विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला / व्यायाम

कार्यशालाओ / गोष्ठियों का आयोजन :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठको को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने मे बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3– विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास

4– छात्र / छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटम का निर्माण।

5– समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।

6– छात्र / छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

7– छात्र. / छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।

8– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधान :–

जनपद मे विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पॉच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओ के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूंढने में सफल हो सके। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:–

1– शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है?

2– बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये?

3– बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे?

4– कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास?

5– शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास)?

6– बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान?

7– बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास?

8– समुदाय की विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास?

9– शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास?

10– अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग मे न लाना?

11– धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियॉ खोजना?

12– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।

13– बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।

14– प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15– विद्यालय परिसर के दुरुपयोग की समस्या।

16– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18– मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।

19– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।

20– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22– गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली :–

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निध

ारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन मे हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षों को निकालने सम्बन्धी पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगें।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्टे जनरेट की जा सकती है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण एवं व्यवस्था करके जो मुद्दे उभरेगें उनको ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

मूल्यांकन प्रणाली :–

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उस परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0स्तर पर एवं कक्षा–8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एसववं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सके।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :–

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढ़ीकरण :–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद्, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :–

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम् उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम

के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत / ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरी अभिकर्मियों / डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रन के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दि जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्

करने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेंगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खंड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खंड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

डायट / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर :–

वर्ष 2003–04

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1–	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2–	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3–	शिक्षा मित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4–	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5–	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6–	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7–	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8–	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9–	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन

10– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11– ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12– विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13– गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14– वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15– व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16– समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अंतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
17– टी0एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास :–

डायट संकाय के सदस्यो को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है :–

1– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।

2– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

3– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।

4– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।

5– मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उउपकरणों/टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।

6– क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकेजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेगें प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन

विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डीपीईपी के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केंद्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेजेज बनाये रखने के लिये वर्तमान में कार्यरत् अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रुपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षामित्र

नवीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षामित्रों को वर्ष 2002–03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

सारिणी संख्या–

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03	–	749
2003–04	210	2042
2004–05	6269	1199
2005–06	–	1199
2006–07	–	1199
2007–08	–	–
2008–09	–	–
2009–10	–	–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड प्रतापगढ़ का सुदृढ़ीकरण :

डायट अतरसण्ड प्रतापगढ़ में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरुष/महिला छात्रावास डायट की स्थापना के समय निर्मित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहेगा इसलिए प्रतिभागियों के आवास के लिए 50 शैय्या का छात्रावास तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष डारमेटरी प्राचार्य आवास की आवश्यकता है।

डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज, 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 100 तख्त, 100 गद्दा, 100 बेडशीट तथा तकिया की आवश्यकता है। कार्यक्रमों की टेली

कान्फ्रेंसिंग के लिए एक बड़े 73 सेमी0 रंगीन टी0वी0 वी0सी0आर0 के साथ उपलब्ध है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर रूम नहीं है। संस्थान में कम्प्यूटर कक्षा के लिए एक डाट मेटिक्स प्रिन्टर एवं एयर कन्डीशनर की आवश्यकता है पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु आलमारी और फर्नीचर की आवश्यकता है।

डायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	2.00
2.	सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	पुताई, रंगाई, सुधार, मरम्मत आदि	2.00
	योग	12.00
	उपकरण साज–सज्जा	
1.	कम्प्युटर्स वर्क्स स्टेशन	6.00
2.	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	0.50
3.	वाटर कूलर, डुप्लीकेटग मशीन ए0सी0	2.00
	योग	8.50
	अन्य मद	
1.	संस्थान की बाउन्ड्री	10.00
2.	जलापूर्ति हेतु पाइप की मरम्मत	1.00
3.	ड्राइवर हेतु वेतन	1.00
4.	योग	12.00
	आवर्तक प्रतिवर्ष	
1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशाला / सेमिनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कन्टीजेन्सी	1.00
5.	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	0.50
	योग	9.50

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जांयेगे –

सारणी संख्या – 9.3

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर	50	
2.	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	200	
3.	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600	
4.	वाहन	–	
5.	किराये का वाहन	80	
6.	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	400	
7.	सेमिनार	1600	
8.	शोध/क्रियात्मक शोध	1600	
9.	संकाय विकास	400	
10.	एक्सपोजर विजिट	400	
11.	पुस्तकालय	25	
12.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	56	
13.	ड्राइवर का वेतन	20	
14.	कंज्यूमेबिल/कम्प्यूटर स्टेशनरी	16	
15.	आनुषंगिक व्यय	800	
	योग	6247	

अध्याय दस

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी इस अवधि में 6–14 आयु वर्ग से सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनकाप्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्ध टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम् जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगीं

प्रबन्ध तंत्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली स्थापित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों का अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचरात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्वशिक्षा अभियान में एक प्रबन्धतंत्र तैयार किया है जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है:–

निर्णयकर्ता समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0पी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0 टी0एस0आई0ई0 एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि।
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

प्रशासनिक तंत्र

1 जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन तथा मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे –

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी : पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	(इ0जी0एस0 / ए0आई0ई0)
3. समन्वयक	:	4
4. सलाहकार	:	2 रू0 10,000 / – नियत वेतन प्रतिमाह
5. कम्प्यूटर आपरेटर	:	1 रु0 7,000 / – नियम वेतन प्रतिमाह
6. सहायक लेखाधिकारी	:	1
7. लिपिक	:	1
8. परिचारक	:	1

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्वेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे।

संगठनात्मक ढांचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमे निम्नलिखित सदस्य हैं:–

समित का स्वरूप निम्नवत् है :–

1– ग्राम पंचायत का प्रधान – अध्यक्ष

2– ग्राम पंचायत मे स्थित बेसिक
स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि
वहां एक से अधिक विद्यालय हो
तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येष्ठतम्
सदस्य – सचिव

3– बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक

जिनमें एक संरक्षक महिला होगी

(सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा

नाम निर्दिष्ट किये जायेगें)। – सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्रशासन नियंत्रण तथा प्रबन्धन करना।

(ख) बेसिक विद्यालयों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जांय।

(ङ) बेसिक विद्यालयों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाय लघुदंड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाय।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रहती है? जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि

सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता प्राप्त करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धक एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यो को सम्पादित किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा जिससे कि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का वांछित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन, मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :–

इस जनपद में न्याय पंचायत केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ 84 संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर इन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :–

1– न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण करना।

2– अध्यापकों की साप्ताहिक बैठकें करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर

विचार–विमर्श एवं उनका निराकरण करना।

3– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5– न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :–

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति मे निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1– क्षेत्र पंचायत प्रमुख – अध्यक्ष

2– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक – सदस्य–सचिव

3– विकास खंड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य

4– विकास खंड का वरिष्ठतम्

प्रधानाध्यापक – सदस्य

कार्य एवं दायित्व –

(1) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(2) जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(3) क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(4) ग्राम शिक्षा समितियों तथा जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच संपर्क

का कार्य करना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

इस समिति की माह मे एक बारबैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत् है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार व सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खंड के विद्यालयों की गुणवत्ता बनाये रखने में विकास खंड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खंड परियोजना अधिकारी होगें। संक्षेप मे विकास खंड स्तरीय अधिकारी का प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें –

1– सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2– विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।

3– ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4– ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन कराना।

5– ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र कर संकलित करना।

6– सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना संकलित

करना।

7– विद्यालय में अध्ययनरत् सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

8– पोषाहार वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।

9– विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10– विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11– ग्राम शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12– अध्यापकों के वेतन बिल समय से प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा उन केन्द्रों पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम -III के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्वशिक्षा अभियान में विकास खंड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– प्रति विकास खंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0योजना के कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन मे सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खंड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :–

इस जनपद मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III संचालित हो चुका है और 15 विकास खंडों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। कुल 13 विकास खंडो में बी0आर0सी0 समन्वयक नियुक्त किये जा चुके है तथा कुल 18 बी0आर0सी0 सह समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु देखा जाता है कि समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है इसके आवश्यक धन की व्यवस्था की जाय।

कार्य एवं दायित्व :–

(1) अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

(2) विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों व. अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

(3) विकास खंडों की अकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक योजनाओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

(4) ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

(5) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला प्रशिक्षण संस्थान के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

(6) ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7– विकास खंड के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर के बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार विवरण तैयार करना।

8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठित निम्नवत् है –

1– जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2– मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
4– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
5– जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
6– जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
7– वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
8– अधिशाषी अभियन्ता आर0ई0एस0	–	सदस्य
9– जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
10– दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य
11– दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)	–	सदस्य
12– दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार)	–	सदस्य
13– स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	–	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्य कार्यक्रम–।।। द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने तथा रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसकी निर्णायक भूमिका है।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित किये** गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों** का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के ।। रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद **विवाद/ वार्ताओं के** प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में 06 प्राथमिक एवं 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 20 प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 120 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	100	
2005-06	—	
2006-07	—	
योग	100	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Prtapgarh

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	AWP&B 2002-03	Expendeture 2002-03 Till 31.12.2002	Expendeture 2002-03 Till 31.3.2003	Anticipated Amount	Anticipated Spillover to Physical	Anticipated Spillover to Financial	Fresh Proposals 2003-04 Unit Cost	Fresh Proposals 2003-04 Physical	Fresh Proposals 2003-04 Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	**BRC**												
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 5.5 for 12 Months							9.00		0.00	0	0	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments							10.00		0.00	0	0	
3	Travilling Allowance & Meeting							6.00	17	102.00	17	102	
4	Maintenance of equipments							2.00		0.00	0	0	
5	Maintenance of building							10.00		0.00	0	0	
6	TLM							5.00	17	85.00	17	85	
7	Contegency							12.50	17	212.50	17	212.50	
	TOTAL BRC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**51**	**399.50**	**51**	**399.50**	
(II)	**CRC**												
8	Furniture/fixture & Equipments							5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coridinator @12 for 12 Months												
10	TLM							1.00	171	171.00	171	171.00	
11	Contegency							2.50	171	427.50	171	427.50	
12	Meeting & TA							2.40	171	410.40	171	410.40	12 Month
	TOTAL CRC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**513**	**1008.90**	**513**	**1008.90**	
(III)	**CIVIL WPRKS**												
13	New Primary School							259	56	14504.00	56	14504.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	12177.00		10341.00		27	1836.00	280	63	17640.00	90	19476.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS							70.00		0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS	2590		2590				70.00	14	980.00	14	980.00	
17	Toilets PS							10.00		0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS	200		200				10.00	12	120.00	12	120.00	
19	Reconstruction PS							191.00		0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS							383.00	3	1149.00	3	1149.00	
21	Drinking Waters PS							18.00		0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS												
23	Repair PS							20.00		0.00	0	0.00	
24	Repair UPS							70.00		0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining							250.00		0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	**14967.00**	**0**	**13131.00**	**0**	**27**	**1836.00**		**148**	**34393.00**	**175**	**36229.00**	
(IV)	**EGS**												
26	Honoraria							1.00		0.00	0	0.00	10 Month
27	Training							1.50		0.00	0	0.00	
28	Contegency							0.468		0.00	0	0.00	
29	Equipment							1.76		0.00	0	0.00	New Centre
30	Adm. & Management Cost							6.056		0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
(V)	**AIE**												
31	AIE (P.S.) (0.845x25x85)							0.845		0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30x89)							1.20	34	1224.00	34	1224.00	
32.1	Bridges Course at NPRC(0.845*40*Nov)							0.845	171.00	5779.80		5779.80	
33	Bridge Course (P.S.)3.0*60*Nov							3000*60*1	1.00	180.00	1	180.00	
	TOTA[illegible]E	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**[illegible]00**		**206**	**7183.80**	**35**	**71[illegible]80**	
	TOTAL EGS/AIE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**206**	**7183.80**	**35**	**7183.80**	
(VI)	**FREE TEXT BOOKS**												
34	Free Text Books PS							0.05	1718	85.90	1718	85.90	
35	Free Text Books UPS	13203.80	2629.73	2640	10563.8			0.15	41906	6285.90	41906	6285.90	
	TOTAL Text Book	**13203.80**	**2629.73**	**2640.00**	**10563.80**	**0**	**0.00**		**43624**	**6371.80**	**43624**	**6371.80**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			418								

36	Medical Assasments							2.30	51	117.30	51	117.30	
37	Printing of Modules							9.00	15	135.00	15	135.00	
38	Funds for NGOS							300.00	1	300.00	1	300.00	
39	Preintigated Skills ICDS workers training							5.00	17	85.00	17	85.00	
40	Support Services							5.00	1	5.00	1	5.00	
41	Training on IED to Teachers							17.20	80	1376.00	80	1376.00	
42	Aids & Appliacences							15.00	3	45.00	3	45.00	
43	Parents Counselling & IEP formation							10.00	1	10.00	1	10.00	
44	Awareness Workshop							5.30	17	90.10	17	90.10	
45	Extra Curricular Activities							20.00	1	20.00	1	20.00	
46	Foundation Cource by RCI							8.80	26	228.80	26	228.80	
46(a)	MasterTrainer's Training(@1.31*2*No of block)							1.31	26	68.12	26	68.12	2 Teachers
	TOTAL IED	**418.00**	**0.00**	**0.00**	**418.00**	**0**	**0.00**		**239**	**2480.32**	**239**	**2480.32**	
	INNOVATIVE ACTIVITIES												
(VIII)	**COMPUTER EDUCATION**												
47	Computer Education										0		
	TOTAL Computer Education	**0.00**				**0**			**0**	**5000.00**	**0**	**5000.00**	
(IX)	**ECCE**											0.00	
48	TLM							5.00		0.00	0	0.00	
49	Honoraria							5.00		0.00	0	0.00	12 Months
50	Contingency							1.50		0.00	0	0.00	
51	Training Induction/Recurring (For 40 Persons)							0.07		0.00	0	0.00	40 Persons
	TOTAL ECCE	**0.00**				**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
(X)	**GIRLS EDUCATION**												Spill over
52	MCDA							75.00		0.00	0	0.00	
53	Summer Camp							4.50		0.00	0	0.00	
54	SUPW							25.00		0.00	0	0.00	
55	Meena Manch							4.00		0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
(XI)	**SC/ST INTERVENTION**												
56	SC/ST Intervention									0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**			**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
	TOTAL Innovative Activities		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**			**0**	**5000.00**	**0**	**5000.00**	
(XII)	**MAINTENANCE**												
57	P.S.							5.00	1456	7280.00	1456	7280.00	
58	U.P.S.	1055.00			1055			5.00	211	1055.00	211	1055.00	
	TOTAL Maintenance	**1055.00**		**0.00**	**1055**	**0**	**0.00**		**1667**	**8335.00**	**1667**	**8335.00**	
(XIII)	**DPO**	942.00	42.29	63.00	879.00								
59	Staff Salary (BSA/AE/AAO/DC)							15.00	1	180.00	1	180.00	12 Months
60	Travelling Allownce							10.00	18	180.00	18	180.00	
61	Equipment Maintenance							30.00	1	30.00	1	30.00	
62	Furniture/ Fixture							30.00	1	30.00	1	30.00	
63	Books / Magagine / News Paper							10.00	1	10.00	1	10.00	
64	Consumables							40.00	1	40.00	1	40.00	
65	Telephone / FAX							30.00	1	30.00	1	30.00	
66	Vehicals MAintenance & POL							100.00	1	100.00	1	100.00	
67	Hiring of Vehicals							10.00	1	10.00	1	10.00	
68	Pay JE							10.00	17	180.00	17	180.00	12 Months
69	Contigency							100.00	1	100.00	1	100.00	
70	AWP&B							10.00	1	10.00	1	10.00	
	TOTAL DPO	**942.00**	**42.29**	**63.00**	**879.00**	**0**	**0.00**		**45**	**2760.00**	**45**	**2760.00**	
(XIV)	**RESEARCH, MONITORING & EVALUATION**												
71	P.S.							1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.	336.00			336.00			1.40	238	333.20	238	333.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	**336.00**	**0.00**	**0.00**	**336.00**	**0**	**0.00**		**238**	**333.20**	**238**	**333.20**	
(XV)	**SCHOOL GRANT**												
73	School Improvement Grants PS @ 2							2.00	25	50.00	25	50.00	

74	School ImprovementGrants UPS @ 2	422.00	352.00	358.00	64.00			2.00	363	726.00	363	726.00	
	Total School Grant	**422.00**	**352.00**	**358.00**	**64.00**	**0**	**0.00**		**388**	**776.00**	**388**	**776.00**	
(XVI)	**SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)**												
75	Salary of Asstt Teacher PS							9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS	5220			5220.00			10.00	81	9720.00	81	9720.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS							8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25							2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	**5220.00**	**0.00**	**0.00**	**5220.00**	**0**	**0.00**		**81**	**9720.00**	**81**	**9720.00**	
(XVII)	**SALARY GRANT (2003-04)**												
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)							9.00	56	3024.00	56	3024.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)							10.00	189	11340.00	189	11340.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)							8.00		0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)							2.25	56	756.00	56	756.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR							2.25	1232	16632.00	1232	16632..0	6 Months
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**1533**	**31752.00**	**1533**	**31752.00**	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	**5220.00**	**0.00**	**0.00**	**5220.00**	**0**	**0.00**		**1614**	**41472.00**	**1614**	**41472.00**	
(XVIII)	**TEACHER GRANT (TLM)**												
84	Teacher Grants PS @ 0.5							0.50	210	105.00	210	105.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5	418.00		361.50	56.50			0.50	2042	1021.00	2042	1021.00	
	TOTAL Teacher Grant	**418.00**		**361.50**	**56.50**	**0**	**0.00**		**2252**	**1126.00**	**2252**	**1126.00**	
(XIX)	**TEACHING LEARNING EQUIPMENTS**												
87	TLE PS @10							10.00	56	560.00	56	560.00	
88	TLE UPS @50	1450.00			100.00	27	1350.00	50.00	63	3150.00	90	4500.00	
88(a)	TLEUPS@50 not covered under OBB	2800.00				56	2800.00	50.00				2800.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	**4250.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**27**	**4150.00**		**119**	**3710.00**	**146**	**7860.00**	
(XX)	**TEACHER TRAINING**												
89	Induction Traininmg of SM	182.70			182.70			2.10	56	117.60	56	117.60	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC)	1048.60			1048.60			1.40	261	365.40	261	365.40	
91	Teachers (UPS)							1.05	917	962.85	917	962.85	
	TOTAL Teacher Training	**1231.30**	**0.00**	**0.00**	**1231.30**	**0**	**0.00**		**1234**	**1445.85**	**1234**	**1445.85**	
(XXI)	**STRENGTHENING OF VEC**												
92	VEC Training							0.48		0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
(XXII)	**STRENGTHENING OF DIET**												
93	Hiring of Vehicle							25.00		0.00	0	0.00	
94	Educational Tour & Survey							26.00		0.00	0	0.00	
95	Contingency							50.00		0.00	0	0.00	
96	TA							50.00		0.00	0	0.00	
97	POL & Maintenance of Vihicals							80.00		0.00	0	0.00	
98	Telephone / FAX							40.00		0.00	0	0.00	
99	Maintenance of Computer Room							50.00		0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of DIET	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
(XXIII)	**EMIS CELL**											0	
100	Purchase of Computer & Equipment							200.00		200.00	1	200.00	
101	Salary of Computer Programmer							12.00		0.00	0	0.00	12 Months
102	Salary of Computer Operator							10.00		0.00	0	0.00	12 Months
103	Furnishing of EMIS Cell							20.00		0.00	0	0.00	
104	Computer Software							20.00		0.00	0	0.00	
105	Priniting & Distribution of of Data Formats							40.00		0.00	0	0.00	
106	Maintenance of Equipments							20.00		0.00	0	0.00	
107	Computrer Consumables							25.00		0.00	0	0.00	
108	Training							10.00		0.00	0	0.00	
109	Monitoring, Management & Collection of Formats							25.00		0.00	0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**			**200.00**	**2**	**200.00**	
	GRAND TOTAL	**45611.30**	**3023.29**	**17608.50**	**18867.80**		**5986.00**			**116995.37**		**122981.45**	

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
PRATAPGARH

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	56	14504	0	0	6	1536	0	0	62	16040
A2	New Upper Primary Schools	451	27	12177	63	17640	0	0	6	1680	0	0	96	31497
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	81	5220	81	9720	81	9720	81	9720	81	9720	405	44100
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	56	756	56	1386	62	1534.5	62	1534.5	236	5211
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	56	3024	56	6048	62	6696	62	6696	236	22464
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	189	11340	189	22680	207	24840	207	24840	792	83700
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	56	560	0	0	6	60	0	0	62	620
A8.2	UPS	50	29	1450	63	3150	0	0	6	300	0	0	98	4900
A9	TLE UPS not covered OBB	50	56	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2800
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21647**	0	**60694**	0	**40034**	0	**46566.5**	0	**42990.5**		**211932**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	50	1056.25	175	3696.875	175	3696.875	400	8450
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Alternative schooling models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	50	1056.25	175	3696.875	175	3696.875	400	8450
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	34	1224	89	3204	89	3204	89	3204	301	10836
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	44	2640	22	1320	22	1320	88	5280
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	171	5779.8	171	5779.8	171	5779.8	171	5779.8	684	23119.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	52	798.2	52	798.2	52	798.2	156	2394.6
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21647.00**	0	**67877.80**	0	**54998.50**	0	**65492.25**	0	**61916.25**	**0**	**271931.80**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	10	1910	0	0	0	0	10	1910
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	3	1149	0	0	0	0	0	0	3	1149
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	136	9520	136	9520	136	9520	408	28560
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	37	2590	14	980	40	2800	37	2590	0	0	128	8960
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	12	120	78	780	0	0	0	0	90	900
R4.2	Toilets Primary	10	20	200	0	0	100	1000	0	0	0	0	120	1200
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	41	738	0	0	0	0	41	738
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1456	7280	1534	7670	1590	7950	1596	7980	6176	30880
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	211	1055	211	1055	244	1220	307	1535	313	1565	1286	6430
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1232	30492	1484	36729	1589	39327.75	4305	106548.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	207	19872	308	29568	413	39648	928	89088
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1232	16632	252	6237	105	2598.75	107	2648.25	1696	28116
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	25	50	1594	3188	1656	3312	1656	3312	4931	9862
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	211	422	363	726	244	488	313	626	313	626	1444	2888
R12	**Promoting Girls Education**		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	80	360	80	360	80	360	240	1080
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	100	400	100	400	100	400	300	1200
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	34	850	34	850	34	850	102	2550
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	50	250	50	250	50	250	150	750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	310	1162.5	360	1350	820	3075
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	310	465	360	540	820	1230
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	50	3.5	50	3.5	50	3.5	150	10.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	948	2654.4	949	2657.2	0	0	1897	5311.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	171	855	171	855	171	855	513	2565
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	553	265.44	552	264.96	0	0	1105	530.4
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	3612.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	56	3360	56	3360	58	3480	180	15200
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	301	752.5	1897	4742.5	1897	4742.5	4095	10237.5
	RETENTION Sub Total		0	**7416**	0	**32992**	0	**97345.6**	0	**110692.71**	0	**118351.30**	**0**	**366798.66**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	56	117.6	150	315	107	224.7	105	220.5	418	877.8
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	87	182.7	0	0	151	317.1	125	262.5	105	220.5	468	982.8
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	749	1048.6	261	365.4	5646	7904.4	5753	8054.2	5858	8201.2	18267	25573.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	917	962.85	1019	1069.95	1037	1088.85	1037	1088.85	4010	4210.5
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	2170	3038	2277	3187.8	2382	3334.8	6829	9560.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	51	35.7	51	35.7	51	35.7	153	107.1
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	171	119.7	171	119.7	171	119.7	513	359.1
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	25	8.75	25	8.75	25	8.75	75	26.25
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1045	418	2067	2480.4	2155	2586	2222	2666.4	2312	2774.4	9801	10925.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0	0									
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	210	105	7816	3908	8030	4015	8240	4120	24296	12148
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	836	418	2042	1021	1199	599.5	1217	608.5	1217	608.5	6511	3255.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	1718	85.9	271738	13586.9	273456	13672.8	284679	14233.95	831591	41579.55
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	88025	13203.8	41906	6285.9	127961	19194.15	133804	20070.6	141401	21210.15	533097	79964.6
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1897	284.55	1897	284.55	1897	284.55	5691	853.65
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	152	7.6	402	20.1	402	20.1	956	47.8
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1590	23850	1590	23850	1590	23850	4770	71550
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	307	2302.5	307	2302.5	307	2302.5	921	6907.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**15271.1**	0	**11424.05**	0	**79242.3**	0	**80587.15**	0	**82748.65**		**269273.25**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	17	2448	17	2448	34	4896
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	34	2244	34	2244	68	4488
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	17	102	17	102	17	102	17	102	68	408
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	17	85	17	85	17	85	17	85	68	340
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	17	212.5	17	212.5	17	212.5	17	212.5	68	850
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	17	61.2	17	61.2	17	61.2	51	183.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	17	85	17	85	34	170
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	171	24624	171	24624	342	49248
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	171	171	0	0	171	171	171	171	513	513
C3.4	Contingency	2.5	0	0	171	427.5	0	0	171	427.5	171	427.5	513	1282.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	171	410.4	171	410.4	171	410.4	171	410.4	684	1641.6
C4	District Project Office/Management		25	942	0	0	0	0	0	0	0	0	25	942
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	0	0	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	18	324	18	324	18	324	54	972
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	18	180	18	180	18	180	18	180	72	720
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	17	2040	16	2160	17	2040	17	2040	69	8280
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	1590	2226	1590	2226	3180	4452
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	240	336	238	333.2	0	0	307	429.8	307	429.8	1092	1528.8
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	**1278**	0	**4501.6**	0	**4005.1**	0	**37870.4**	0	**37870.4**		**85525.5**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Trainng Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	**1278**	0	**4701.6**	0	**4005.1**	0	**38369.4**	0	**38369.4**	0	**86723.5**
	GRAND TOTAL		0	**45612.1**	0	**116995.45**	0	**235592.54**	0	**295141.51**	0	**301385.60**	**0**	**994727.20**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **PRATAPGARH**

			2002-03		2003-04		20004-05		2005-06		2006-07		Total
Civil			14967.0		34393.0		16748.0		15326.0		9520.0		90954.0
Management			336.0		3093.2		3134.0		7498.8		7498.8		21760.8
Programme			30309.1		79509.3		215710.5		272316.7		284366.8		882012.4
Total			**45612.1**		**116995.5**		**235592.5**		**295141.5**		**301385.6**		**994727.2**
Percentage - Civil			**32.8**		**29.4**		**7.1**		**5.2**		**3.2**		**9.1**
Percentage - Management			**0.7**		**2.6**		**1.3**		**2.5**		**2.5**		**2.2**
Percentage - Programme			**66.4**		**68.0**		**91.6**		**92.3**		**94.4**		**88.7**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**